सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल–4

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

अपने कृत्यों के निवर्हन के लिये स्वंय द्वारा स्थापित मापमान।
नागरिक चार्टर

परिवहन विभाग का संकल्प है :–

1– प्रत्येक आवेदक को त्वरित, दक्ष एवं मैत्रीपूर्ण सेवा सत्यनिष्ठा के साथ प्रदान करेगा।

2– अपने सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पारदर्शिता बनाये रहते हुए पूरा करेगा।

3– प्रत्येक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाने की दशा में आवेदक को कारण सूचित करेगा।

4– कार्यालय परिसर के अन्दर जन सामान्य के सूचनार्थ विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु अपेक्षित प्रपत्रों/प्रारूपों तथा निर्धारित शुल्क एवं उनके कार्यो को सम्पादित करने वाले अधिकारी/कक्ष को इंगित करते हुए उपयोगी सूचना पट्ट प्रदर्शित करेगा।

5– नागरिकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये प्रयत्नशील रहेगा। कार्यों को समयबद्ध निस्तारण हेतु परिवहन विभाग द्वारा निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की जाती है।

क्रं0 सं0	कार्य	निर्धारित समय
1	वाहनों का पंजीयन (अव्यवसायिक)	आवदेन पत्र प्राप्ति के 2 दिन के अन्दर।
2	व्यवसायिक वाहनों का पंजीयन	आवेदन–पत्र प्राप्ति के 4 दिन के अन्दर।
3	शिक्षार्थी लाइसेंस	परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि में विलम्बतम दूसरे दिन।
4	स्थाई लाइसेंस (अव्यवसायिक)	परीक्षा उत्तीर्ण होने के दूसरे दिन।
5	स्थाई (व्यवसायिक) लाइसेंस	परीक्षा उत्तीर्ण होने के दूसरे दिन।
6	पते में परिवर्तन	आवेदन–पत्र प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर।
7	वाहन हस्तानान्तरण (यदि वाहन संबंधित जनपद में ही पंजीकृत हो)	आवदेन–पत्र प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर।
8	वाहन हस्तान्तरण (यदि वाहन किसी अन्य जनपद अथवा अन्य प्रदेश में पंजीकृत हो)	मूल पंजीयन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर अथवा आवेदन पत्र देने की अधिकतम 50 दिन के अन्दर।

9	अनापत्ति प्रमाण–पत्र	पुलिस विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
10	हायर परचेज पृष्ठांकन एवं निरस्तीकरण।	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दूसरे दिन।
11	उत्तराखण्ड पंजीयन चिन्ह आवंटन।	अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर।
12	लाइसेंस की द्वितीय प्रति	आवेदन–पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
13	पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति।	आवेदन–पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
14	विशेष अस्थाई एवं भारवाहन परमिट संबंधी आवेदन।	आवेदन–पत्र प्राप्त होने के दिन।
15	परमिट जारी करना नवीनीकरण एवं हस्तानान्तरण।	प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान होने के उपरान्त आवेदन–पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन, माल वाहन के नेशनल/ऑल उत्तराखण्ड परमिट आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन।
16	स्वस्थता प्रमाण–पत्र	वाहन स्वस्थ्य घोषित किये जाने वाले दिन।
17	प्रदूषण मुक्त वाहन	जांचोपरान्त प्रदूषण मुक्त पाये जाने की दशा में उसी दिन।
18	कर माफी।	आवेदन–पत्र प्राप्त होने के दो माह के अन्दर।
19	व्यापार प्रमाण–पत्र।	आवेदन–पत्र प्राप्त होने के दो माह के एक सप्ताह के अन्दर।
20	मोटर ड्राइविंग ट्रेनिग स्कूल का लाइसेंस	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के अन्दर।

मोटर दुर्घटना से ग्रसित आश्रितों को आर्थिक सहायताः–

यात्री बसों से हुई दुर्घटना के मामले में परिवहन आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से दुर्घटना पीड़ितों को उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के साथ पठित उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 के अन्तर्गत सहायता देय होती है।

2– अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्राविधान सोलेशियम स्कीम, 1989 में है। इसके लिये जिलाधिकारी से सम्पर्क किया जाये।

3– ज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर जिला दुर्घटना क्लेम ट्रिव्यूनल अर्थात जिला जज के न्यायालय में नियमानुसार आवेदन–पत्र देना चाहिए।

इस आवेदन पत्र के साथ ही मोटरयान अधिनियम की धारा–140 के अन्तर्गत तत्काल मुआवजे का आवेदन–पत्र भी दिया जा सकता है।

विभाग वचन देता है कि :–

अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता बनाये रखने तथा विभाग से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाओं को जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने के उददे्श्य की पूर्ति हेतुः–

(1) कार्यालय प्रांगण में विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिये प्रयोग में आने वाले फार्मों का विवरण वांछित औपचारिकताएं एवं प्रपत्र, निर्धारित शुल्क, कार्य सम्पादित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

(2) विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रति जमा किये जाने वाले कर की धनराशि को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

(3) अल्प मूल्य में विभिन्न कार्यो के लिये प्रयोग में आने वाले फार्मों का वितरण विभाग सुनिश्चित करेगा।

(4) कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेगा।

शिकायतों का निस्तारण :–

(1) शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 15 दिन के अन्दर जांच पूरी कर दी जायेगी तथा लिये गये निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जायेगी।

(2) यदि निचले स्तर पर शिकायत का निस्तारण नहीं होता तो विभिन्न स्तर पर अधिकारियों तक पहुंचने की सुविधा विभाग प्रदान करेगा।

नागरिकों से विभाग की अपेक्षा :–

(1) आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रपत्रों को साथ में संलग्न करते हुये ही प्रस्तुत किये जायें।

(2) आयु एवं पते के प्रमाण–पत्र अथवा अन्य प्रमाण–पत्र नियमों में निर्धारित प्रारूप की शक्ल में स्पष्ट पठनीय एवं सही प्रस्तुत किये जायें।

(3) सरकारी देयों की अदायगी समय से की जाये।

(4) विभागीय कार्यों में दलालों अथवा विचौलियों का सहयोग न प्राप्त किया जाये।

(5) सडक सुरक्षा नियमों का पालन करें और राज्य को शून्य दुर्घटना राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें।

(6) नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने दें।

(7) जनता से सम्पर्क।

(8) परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण सूचनायें जनता के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाईट gov.ua.nic.in/transport पर उपलब्ध है। वेबसाईट के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यों यथा–वाहनों का पंजीयन, चालक लाईसेंस, परमिट, प्रशमन शुल्क, प्रदूषण जॉच केन्द्र, प्रदूषण मानक, कर ढॉचा, चार धाम यात्रा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध करायी गयी है।

(9) परिवहन विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र (फार्म) भी उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है।

परिवहन विभाग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में यदि आपका कोई सुझाव अथवा शिकायत हो तो आप उपरोक्त वेबसाईट पर अथवा निम्नलिखित पते पर प्रेषित कर सकते है–

परिवहन आयुक्त,
कुल्हान सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–20 वर्ष, 2011) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–1337/XXXI(13)G/2011 दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं की सूची।

xx **xx** **xx**

5– परिवहन विभाग

क्र0 सं0	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	वाहन का पंजीयन	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी	1–केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–20, 21, 22 और फार्म संख्या–A वाहन के बिल की मूलप्रति, वैध बीमा की सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण पत्र एवं एक फोटो के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अव्यवसायिक	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–35 (अब उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–36) के अन्तर्गत धारा–57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र का उप परिवहन	परिवहन आयुक्त

		के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क/कर जमा होने के उपरान्त 02 दिन के अन्दर। 2– व्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क/कर जमा होने के उपरान्त के 04 दिन के अन्दर। 3– अन्य जिलों/राज्यों से अस्थायी पंजीयन लेकर आने वाले वाहनों के सम्बन्ध में यह अवधि आवेदन करने की तिथि से प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त 30 दिन के अन्तर्गत होगी।	आयुक्त, मुख्यालय होगा।	
2	शिक्षार्थी लाईसेन्स	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–10 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–01, 02 निवास प्रमाण पत्र, आयु के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, 16–18 वर्ष के मध्य आयु वालों के सम्बन्ध में अभिभावक की सहमति, व्यवसायिक शिक्षार्थी लाईसेन्स हेतु कम से कम 01 वर्ष पुराना वैध हल्की वाहन चालक लाईसेन्स, दो नवीनतम फोटो प्रस्तुतीकरण एवं निर्धारित शुल्क जमा होने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर परीक्षा ली जायेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 02 दिन।	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–05 (अब उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–05) के अन्तर्गत धारा–9 की उपधारा (8) एवं धारा–17 की उपधारा (2) औरा धारा–19 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने के लिए सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त
3	स्थायी लाईसेन्स	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–14 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–04, वैध	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–05 (अब उत्तराखण्ड मोटरयान	परिवहन आयुक्त

		सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	शिक्षार्थी लाईसेन्स (न्यूनतम 30 दिन की अवधि पूर्ण होने पर) व्यवसायिक लाईसेन्स के लिए फार्म संख्या–05 पर मोटर चालक प्रशिक्षण, स्कूल का प्रमाण पत्र, दो नवीनतम फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा करने परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन।	नियमावली, 2011 के नियम–5) के अन्तर्गत धारा–9 की उपधारा (8) एवं धारा–17 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने के लिए सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय होगा।	
4	फिटनेस	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–62 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज वाहन निरीक्षण आख्या फार्म वैध बीमा प्रमाण–पत्र नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण–पत्र समस्त देयों के भुगतान सम्बन्धित प्रमाण–पत्र चालन लम्बित न होने का प्रमाण–पत्र के साथ वाहन निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर उसी दिन निरीक्षण कर दिया जायेगा। फिट पाये जाने पर दूसरे दिन फिटनेस जारी कर दी जायेगी फिट नहीं पाये जाने पर सभी कमियों को एक मुश्त लिखित रूप में सूचित कर दिया जायेगा।	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–35 (अब उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–36) के अन्तर्गत धारा–57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार निश्चित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं/कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के निस्तारण से सम्बन्धित नियम एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उनके निस्तारण का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

परिवहन आयुक्त कार्यालय
राज्य परिवहन प्राधिकरण सम्बन्धी कार्य

क्रं0 सं0	कार्य का प्रकार	सम्बन्धित नियम	आवेदक द्वारा दिए जाने वाले प्रपत्र आदि
1	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब बस के ठेका गाड़ी परमिट।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 का नियम 82 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 126	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रारूप–45 पर परमिट तथा प्रारूप–46 में अधिकार पत्र हेतु रू0 500/– आवेदन फीस के साथ आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र (प्रारूप– 45) के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ एन0ओ0सी0। 5– परमिट शर्तों का पालन करने सम्बन्धी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। 6– पता प्रमाण पत्र – राशन कार्ड, बिजली बिल की प्रमाणित प्रति या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजों का प्रमाण पत्र । 7– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। टैक्सी कैब के परमिट उदारता पूर्वक एवं मैक्सी कैब/ठेका गाड़ी के परमिट प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन जारी किये जायेंगे।
2	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब व बस के ठेका परमिट	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 74 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 64(2) एवं 126	1– राज्य मोटरयान नियमावली के प्रारूप एसआर –21 पर रू0 500/– आवेदन फीस के साथ आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/एन0ओ0सी0 4– परमिट शर्तों का पालन करने सम्बन्धी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। 5– पता प्रमाण पत्र–राशन कार्ड, बिजली बिल की प्रमाणित प्रति या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजों का प्रमाण पत्र । 6– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। टैक्सी कैब के परमिट उदारता पूर्वक एवं मैक्सी कैब/ठेका गाडी के परमिट प्राधिकरण द्वारा स्वीकृ ति प्राप्त होने पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन जारी किये जायेंगे।

3	मंजिली वाहन के सम्बन्ध में स्टेज कैरेज परमिट	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 70, 71, 72 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 66, 68 एवं 69	1– राज्य मोटरयान नियमावली के प्रारूप एसआर –20 पर रू0 500/– आवेदन फीस के साथ आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– पता प्रमाण पत्र–राशन कार्ड, बिजली बिल की प्रमाणित प्रति या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजों का प्रमाण पत्र । 4– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ एन0ओ0सी0 5– परमिट शर्तों का पालन करने सम्बन्धी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। 6– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। परमिट प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन जारी किये जायेंगे।
4	परमिटों का नवीनीकरण	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 82	1– सादे कागज पर परमिट समाप्ति के 15 दिन पूर्व रू0 500/– आवेदन फीस के साथ आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– पिछले पाँच साल के चालानों का विवरण। 4– फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 5– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ एन0ओ0सी0 6– परमिट शर्तों का पालन करने सम्बन्धी नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। 7– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। परमिट नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन जारी किये जायेंगे।
5	परमिटों का हस्तान्तरण	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 82 (1) (2) उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 88	1– राज्य मोटरयान नियमावली के एस0आर0–33 में हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– वाहन क्रय एवं विक्रय करने का कारण सहित एग्रीमेन्ट की प्रति प्रस्तुत करेगा। 4– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ एन0ओ0सी0 5– परमिट शर्तों का पालन करने सम्बन्धी नोटरी

			द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। 6– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। परमिट हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन जारी किये जायेंगे।
6	प्राईवेट स्टैज कैरिज परमिट	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66, 76 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 62 व 66	1– राज्य मोटरयान नियमावली के प्रारूप एसआर–23 पर रू0 500/– आवेदन फीस के साथ आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– संस्थान का पंजीयन नं0 4– संस्थान के कर्मचारियों की संख्या। 5– परमिट प्राप्त करने का उद्देश्य। 6– वाहन में ढोये जाने वाले कर्मचारियों से किराया लिया जायेगा या नहीं लिया जायेगा का प्रमाण। 7– प्रमाण पत्र– राशन कार्ड, बिजली बिल की प्रमाणित प्रति या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजों का प्रमाण पत्र । 8– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/एन0ओ0सी0 9– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। परमिट की स्वीकृति प्राप्त होने पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन जारी किये जायेंगे।
7	परमिट प्रतिहस्ताक्षर	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 76, 83 एवं 84	1– सादे कागज पर प्रतिहस्ताक्षर परमिट रू0 500/– आवेदन फीस के साथ आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– उत्तराखण्ड राज्य का देयकर उत्तराखण्ड राज्य में जमा किये जाने वाले कार्यालय का नाम। 4– सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया संस्तुति पत्र। 5– वाहन के सभी मूल प्रपत्र तथा उनकी छायाप्रति। 6– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ एन0ओ0सी0 7– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। परमिट प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति प्राप्त होने पर

			आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन जारी किये जायेंगे।
8	सभी प्रकार के परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86	1– सादे कागज पर परमिट निरस्त का आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– चालानों का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 4– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ एन0ओ0सी0 5– परमिट के पार्ट। 6– फाइनेन्स का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 7– कोई कर चालान आदि शेष नहीं है के आशय का शपथ पत्र। परमिट निरस्तीकरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर तत्काल निरस्त किये जायेंगे।
9	परमिट पर गाडी बदलना व लगाना (रिप्लेसमैंट)	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 83 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 85	1– सादे कागज पर परमिट निरस्त का आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– चालानों का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 4– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ एन0ओ0सी0 5– परमिट के पार्ट । 6– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। परमिट प्रतिस्थापन का आदेश प्राप्त होने पर दूसरे दिन निर्गत किये जायेंगे।
10	परमिट खोने व नष्ट होने पर द्वितीय प्रति जारी करना	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 96 (2)(V) उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 89	1– सादे कागज पर परमिट निरस्त का आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– नष्ट परमिट। 4– खोने पर पुलिस रिपोर्ट। 5– चालानों का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 6– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ एन0ओ0सी0। 7– परमिट के पार्ट । 8– फाइनेन्स का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 9– कोई कर चालान आदि शेष नहीं है के आशय का शपथ पत्र । 10– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस।

			आदेश प्राप्त होने के दूसरे दिन द्वितीय प्रति निर्गत कर दी जायेगी।
11	अस्थायी परमिट जारी करना	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 66 व 75	1– एसआर–24 पर अस्थायी परमिट के लिए आवेदन किया जायेगा। 2– आवेदन पत्र के साथ रू0 200/–कोर्ट फीस चस्पा की जायेगी। 3– आवेदक के पास वाहन है तो सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/एन0ओ0सी0 4– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस।

टी0आर0 अनुभाग सम्बन्धी कार्य

12	कर परिहार के मामले (उत्तराखण्ड कराधान सुधार अधिनियम 2003 की धारा 12 (9))	1– वाहन स्वामी द्वारा वाहन के अनुपयोग की स्थिति का शपथपत्र। 2– दुर्घटना के मामले में मजिस्ट्रीयल जॉच रिपोर्ट। 3– पुलिस रिपोर्ट जिसमें वाहन के अनुपयोग की पुष्टि तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित तकनीकी कार्मिक द्वारा तकनीकी निरीक्षण। 4– बीमा कम्पनी द्वारा वाहन दुर्घटना के सम्बन्ध में जारी रिपोर्ट एवं मुआवजा आदेश की प्रति। 5– वाहन थाने में निरूद्ध होने की आदेश की प्रति तथा मुक्त किए जाने के आदेश की प्रति। 6– पिछला कर/अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण साक्ष्य के साथ। 7– सम्बन्धित कराधान अधिकारी की जॉच आख्या व संस्तुति। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के अन्दर निस्तारण।

प्राविधिक अनुभाग सम्बन्धी कार्य

क0 स0	कार्य का प्रकार	सम्बन्धित नियम	आवेदक द्वारा दिए जाने वाले प्रपत्र
1	चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने का कार्य–	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 का नियम 24 से 32	1– चालक प्रशिक्षण स्कूल के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 अधिनियम में प्रावधानित व्यवस्थानुसार केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 24 के अधीन प्रारूप–12 पर आवेदन पत्र एंव धोषणा पत्र। 2– प्रस्तावित स्कूल के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र , किरायानामा की प्रतिलिपि एंव मानचित्र । 3– स्कूल स्वामी के 10 वीं कक्षा उर्त्तीण होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि । 4– रूपये 25,000/– की एफडी अथवा सावधिक बचत प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि । 5– स्कूल के लिए प्रशिक्षक के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि एंव उसके चरित्र प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपिंया 6– प्रशिक्षण वाहन के सम्बन्ध मे अधिनियम एंव शासनादेशानुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां ।

			7– स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों की सूची । 8– स्कूल में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक/अनिवार्य उपकरणों, उपस्करों की सूची । 9– स्कूल द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान नियमावली,2011 के नियम 19ख में विहित शर्तो का पालन करना। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के अन्दर।
2	निजी गैराजों, कार्यशालाओं को मान्यता प्रदान किये जाने का कार्य	शासनादेश संख्या 170/परि0–512 दिनांक 23–04–2004	आवेदन के साथ आवश्यक अभिलेख 1– किस श्रेणी की मान्यता वांछित है–आवेदन पत्र में दर्शायेगा। 2– आबकारी पंजीकरण संख्या–प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (बैटरी रिकन्डिशनिंग की मान्यता हेतु) 3– लघु उद्योग का पंजीकरण–प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि 4– बीमा–प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि 5– उपलब्ध भूखण्ड का क्षेत्रफल–स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा किरायानामा 6– भवन खण्डो का विवरण–मानचित्र 7– पावर कनेक्शन की उपलब्धता की स्थिति –बिजली केबिल की प्रतिलिपि 8– शासनादेश द्वारा निर्धारित उपकरणों– की उपलब्धता सूची 9– आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्यो की पुष्टि हेतु–घोषणा पत्र आवेदन पत्र प्रारूप पर भरेगा। 10– प्रदूषण संयत्रों की अनिवार्यता– ए व बी श्रेणी के गैराजों द्वारा प्रदूषण संयत्रों की उपलब्धता के लिए संयत्रो के सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के अन्दर।
3	प्रदूषण जांच केन्द्रो की मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम 115, 116 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम 169 से नियम 169घ तक	1– मान्यता प्राप्त गैराज ,पेट्रोल पम्प ,पेट्रोल उत्पादकर्ताओं, डीलर्स, स्वैच्छिक/प्राधिकृत संस्थाओं के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। 2– एस0आर0 48 पर आवेदन पत्र सभी प्रविष्टियां भर कर अपेक्षित संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जायेगा। 3– अपेक्षित संलग्नक– एक– परिवहन आयुक्त के नाम बन्धक 25000 रूपये की प्रतिभूति, दो– केन्द्रीय नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित एजेन्सी द्वारा अनुमोदित जांच संयत्र का बीजक, स्थापना प्रपत्र व एजेन्सी पर उपलब्ध अन्य उपकरणों की

			सूची / बीजक, **तीन–** स्वैच्छिक संस्थान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रस्तावित जांच केन्द्र के भवन का नक्श, पता प्रमाण पत्र, भू–स्वामित्व / किरायानामा का प्रमाण, विद्युत संयोजन का प्रमाण, **चार–** साझेदारी फर्म का पार्टनरशिप डीड की प्रति, **पांच–** मानक स्तर से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाले यान को सुधारने हेतु जांच / मरम्मत के उपकरणों की सूची, **छः–** प्राधिकार पत्र की फीस यथास्थिति 4000 रूपये या 8000 रूपये। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के अन्दर।
4	सरकारी विभागों की वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की स्वीकृति दिये जाने का कार्य	शासनादेश संख्या 3982 / 30–95–30जे बी / 70 दिनाक 30 नवम्बर 1995, 3817 / 30–4–24 के एम 76 दिनांक 31 अक्टूॅबर 1986 एंव 2747 / 30–4–97–24 केएम / 76 दिनाक 4–10–1997	**1–** परिवहन विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा वाहन की जांच कर दी गयी आख्या । **2–** वाहन के द्वारा अब तक निर्धारित मापदण्डो के पूर्ण न होने के सम्बन्ध में उचित कारण । **3–** वाहन के सम्बन्ध मे निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत विवरण । **4–** वाहन की मरम्मत पर होने वाले सम्भावित व्यय के लिए मान्यता प्राप्त गैराजों के कोटेशन । **5–** वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर एफ.आई.आर तथा फोटो तथा जांच आख्या।
5	उत्तराखण्ड राज्य में वाहनों में एल0पी0जी0 किट के रिट्रोफिटमेन्ट हेतु अनुमोदन।	कार्यालय ज्ञाप संख्या– 403 / सा0 प्रशा0 / 6–35 / 2004 दिनांक 11–06–04	**1–** कम्पनी अपने लेटर पैड पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी। **2–** किट के सम्बंध में प्रोटोटाइप एजेन्सी द्वारा जारी टाइप एप्रूवल प्रमाण–पत्र। **3–** इलैक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। **4–** टैक्निकल स्पेशिफिकेशन। **5–** सिस्टम के सम्बंध में संक्षिप्त विवरण। **6–** सी0सी0ओ0ई0 (चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव) नागपुर द्वारा जारी आटो एल0पी0जी0 टैंक एंव मल्टीफंक्शन बाल्व के सम्बंध में प्रमाण–पत्र की प्रति। **7–** किट के साथ स्थापित किये जाने वाले फ्यूल टैंक के सम्बंध में आईएस–14899 के मानको के अनुरूप होने का प्रमाण–पत्र। **8–** वाहनों में किट कम्पनी की अधिकृत कार्यशाला अथवा वाहन निर्माता द्वारा ही किया जायेगा,इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित की गयी कार्यशालाओं की सूची, यदि आवेदन के समय तक कार्यशालाये स्थापित नही की गयी हैं तो कम्पनी को इस प्रकार की

			कार्यशालाओ की स्थापना/अधिकृत करना अनिवार्य होगा, और इस आशय का लिखित शपथ पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। 9— किट निर्माता द्वारा अपने द्वारा निर्मित किट के सम्बंध में परिवहन विभाग उत्तराखण्ड के अधिकारियो को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करना होगा, इस आशय की लिखित सहमति भी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
6	विभिन्न निर्माताओं द्वारा नव निर्मित वाहनों को उत्तराखण्ड राज्य में पंजीयन हेतु अनुमोदन।	केन्द्रीय मोटर गाड़ी नियमावली 1989 का नियम—126 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम 135	1— कम्पनी अपने लेटर पैड पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी। 2— केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम—126 के प्राविधानुसार, प्रत्येक निर्माता अपने द्वारा विनिर्मित किये जाने वाले यान का प्रोटोटाइप पंजीयन अनुमोदन निम्नलिखित में से किसी एक अभिकरण से प्राप्त करना अनिवार्य होगाः— (1) रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान और विकास स्थापना या, (2) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इन्डिया, पुणें। (3) सेन्ट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्सीटियूट बूदनी (म0प्र0) (4) आई0आई0पी0 मोहकमपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड। (5) केन्द्रीय सडक परिवहन संस्थान पुणे या (6) इन्टरनेशनल सेन्टर फार आटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर। (7) नार्दन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टैस्टिंग संस्थान, हिसार। 3— एस0आर0 47क पर आवेदन पत्र। 4— शुल्क दुपहिया के लिए 2000 रूपये, हल्का मोटरयान 5000 रूपये, मध्यम एवं भारी मोटरयान 10,000 रूपये। आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय
परिवहन यानों का नियंत्रण

3. वाहन के परमिट जारी करने संबंधी प्रक्रिया :—

कार्य का नाम	निर्धारित अधिनियम/नियम	कार्यों हेतु मानक
मंजिली गाड़ी परमिट	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा— 70, 71, एवं 72 सपठित	1— प्रपत्र—एस0आर0—20 में रू0 500.00 आवेदन फीस के साथ आवेदन रू0 100.00 कोर्ट फीस सहित।

	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम 66, 68 एवं 69	2– परमिट पर आच्छादित की जाने वाली वाहन के प्रपत्र जैसे कर/अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण–पत्र, ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र, बीमा प्रमाण–पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि। 3– वाहन के मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 4– परमिट धारक की दो सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 5– परमिट धारक का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति। 6– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–126 के अंतर्गत निर्धारित फीस। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
प्राइवेट सेवायान परमिट	धारा–76 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम–62 एवं 66	1– प्रपत्र एस0आर0–23 पर रू0 500.00 आवेदन फीस के साथ आवेदन पत्र रू0 100/– कोर्ट फीस सहित। 2– वाहन के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 3– संस्था/शिक्षण संस्था के पंजीकृत होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति। 4– शिक्षण संस्थाओं के मामले में संस्था के मान्यता प्राप्त होने के संबंध में भी प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। 5– नोटरी प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र कि उसके द्वारा यान का संचालन केवल अपनी संस्था के निजी कार्यों में निःशुल्क किया जायेगा। 6– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम–126 के अंतर्गत निर्धारित फीस। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
ठेका गाड़ी परमिट	धारा–74 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम–62, 66, 68 एवं 71	1– प्रपत्र एस0आर0–21 पर रू0 500.00 आवेदन फीस के साथ आवेदन रू0 100/– कोर्ट फीस सहित। 2– वाहन के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 3– आवेदक की दो सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 4– बुकिंग कार्यालय उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र। 5– नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कवह

		अपने वाहन का संचालन मंजिली गाड़ी के रूप में नहीं करेगा और गाड़ी पर ऐसा चालक रखेगा जिसे पांच वर्ष पूर्व परिवहन यान चलाने के लिये चालन अनुज्ञप्ति जारी हुई हो। 6– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम–126 के अंतर्गत निर्धारित फीस। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
विक्रम/ऑटो वाहनों के परमिट	धारा–74 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम–62, 66 एवं 68	1– प्रपत्र–एस0आर0–21 में आवेदन रू0 100.00 की कोर्ट फीस स्आम्प सहित। 2– परमिट पर आच्छादित की जाने वाली वाहन के समस्त प्रपत्र। 3– मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 4– आवेदक की दो सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 5– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम–126 के अंतर्गत निर्धारित फीस। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
ई रिक्शा– ई कार्ट	धारा–2क	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली,1989 के प्रपत्र 6 पर प्राधिकार।
माल वाहन परमिट	धारा–77, 78 एवं 79 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम–66 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–86, 87, 88, 89, एवं 90	1– आवेदन गृह राज्य के लिये प्रपत्र–एस0 आर0–22 तथा राष्ट्रीय परमिट हेतु रू0 500.00 आवेदन फीस के साथ आवेदन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में निर्धारित फार्म–48 पर धारा–77 में मांगी गई सूचनाओं व रू0 100/–कोर्ट फीस तथा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र सहित। 2– रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र। 3– राष्ट्रीय परमिट का अधिकार– पत्र लेने के लिये फार्म संख्या– 46 में रू0 100.00 कोर्ट फीस के साथ प्रार्थना–पत्र तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 87 यथा संशोधित के अधीन विहित समेकित फीस का भुगतान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कम से कम तीन राज्यों के कम्पोजिट टैक्स के बैंक ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के होंगे, प्रस्तुत करने होंगे। 4– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 का नियम–126 के अंतर्गत निर्धारित फीस। आवदेन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।

अस्थाई परमिट	धारा–87 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–66 एवं 75	1– प्रपत्र–एस0आर0–24 में अस्थाई परमिट एवं प्रपत्र–एस0आर0–25 विशेष अस्थायी परमिट हेतु आवेदन रू0 100/– की कोर्ट फीस सहित। 2– मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र। 3– विशेष अस्थाई परमिट के लिये यात्रा का प्रोग्राम/यात्रियों की प्रमाणित सूची/शादी का कार्ड देना अनिवार्य है। 4– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–126 के अंतर्गत निर्धारित फीस। आवदेन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
परमिट का नवीकरण	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–82	1– परमिट के नवीकरण हेतु रू0 100/– की कोर्ट फीस सहित सादे कागज पर रू0 500.00 आवेदन फीस के साथ आवेदन। 2– वाहन का परमिट। 3– वाहन के चालान एवं कर संबंधी कागजात। 4– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–126 के अंतर्गत निर्धारित फीस। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
परमिट का अन्तरण	धारा–82 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–88	1– प्रपत्र–एस0आर0–33 में अन्तरक एवं अन्तरती द्वारा संयुक्त आवेदन रू0 100/– की कोर्ट फीस सहित। 2– परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार का प्रमाण, मृतक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। 3– संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र। 4– मूल परमिट की प्रति। 5– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–126 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
परमिट द्वारा प्राधिकृत यान का प्रतिस्थापन	धारा–83 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–85	1– प्रपत्र–एस0आर0–32 में रू0 500.00 आवेदन फीस के साथ रू0 100/– की कोर्ट फीस स्टाम्प सहित। 2– मूल परमिट की प्रति। 3– वाहनों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रमाण पत्र। 4– परमिट से एक वाहन को हटाने के लिये उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–126 के अंतर्गत निर्धारित फीस। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।

खोयी, नष्ट हुयी परमिट के स्थान पर दूसरी प्रति जारी करना	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–89	1– सादे कागज पर रू0 100/– कोर्ट फीस स्टाम्प सहित आवेदन। 2– परमिट वास्तव में खो गयी या नष्ट हो गयी की पुलिस रिपोर्ट एवं शपथ पत्र। 3– परमिट खराब होने की स्थिति में मूल परमिट की प्रति। 4– संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से वाहन की अनापत्ति प्रमाण पत्र। 5– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–126 में निर्धारित फीस। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन।
माल वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–114	1– प्रपत्र–एस0आर0–36 में आवेदन। 2– आवेदन पत्र के साथ उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम– 114, 115, 118, 120, 122 में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत अनुपालन किये जाने संबंधी समस्त सूचनाएं सलंग्न की जायेंगी। 3– आवेदक द्वारा रू0 10000 की प्रतिभूति। 4– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–126 में निर्धारित फीस। आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर।

सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय
मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

कार्य का नाम	निर्धारित अधिनियम/नियम	कार्यों हेतु मानक
शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति	मोटरयान अधिनियम की धारा–8 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–10	1– फार्म–2 पर आवेदन पत्र। 2– फार्म–1 पर परिवहन यान से भिन्न यान की चालन अनुज्ञप्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की घोषणा। परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति हेतु फार्म–1–क में सक्षम चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3– आवेदक की 4 पासपोर्ट साईज फोटो। 4– आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। 5– पते का प्रमाण–पत्र (नियम–4 के अंतर्गत)। 6– नियम–32 के अंतर्गत निर्धारित फीस। परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन।
चालन अनुज्ञप्ति	धारा–9 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–10	1– फार्म–2 पर आवेदन पत्र। 2– शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 3– तीन पासपोर्ट साईज फोटो। 4– परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के लिए मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

		5– नियम–32 के अन्तर्गत निर्धारित फीस। परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन।
चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन (अन्य वर्ग के मोटरयान का जोड़ा जाना)	धारा–11 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–17	1– फार्म–2 पर आवेदन पत्र। 2– जिस वर्ग के यान को जोड़ा जाना है उससे सम्बन्धित एक माह पूर्व जारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 3– चालन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 4– आवेदक की तीन पासपोर्ट साईज फोटो। 5– नियम–32 के अंतर्गत निर्धारित फीस। परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन।
चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण	धारा–15 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–18	1– फार्म–2 पर आवेदन पत्र। 2– फार्म–1–क पर चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3– चालन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 4– नियम–32 के अंतर्गत निर्धारित फीस। आवदेन पत्र प्राप्त होने के दिन।
चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति दिया जाना	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–8 व 9	1– प्रपत्र–एस0आर0–1 में आवेदन–खो गयी या नष्ट हो गयी चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिये। 2– विरूपित या फटी हुयी अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 3– खो गयी या नष्ट हो गयी अनुज्ञप्ति की दशा में पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आवेदक का प्रति शपथ पत्र। 4– चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने हेतु नियम–32 में विनिर्दिष्ट फीस। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन।
अर्न्तराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली का नियम– 14(2)	1– फार्म–4ए में आवेदन। 2– चार पासपोर्ट फोटो। 3– विधिनियम चालन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 4– फार्म–1–क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5– आवेदक के पासपोर्ट की सत्यापित छाया प्रति। 6– वीजा की सत्यापित छाया प्रति (जहां लागू हो)। 7– भारत का नागरिक होने का विधिमान्य प्रमाण। 8– विनिर्दिष्ट फीस। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–32 में निर्धारित फीस :–

क्र0 सं0	प्रयोजन	फीस	नियम	धारा
1	2	3	4	5
1.	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के सम्बन्ध में	एक सौ पचास रूपये	10	8

2.	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण या पुनः परीक्षण फीस	पचास रूपये		27(थ)
3.	फार्म–6 में चालन अनुज्ञप्ति के जारी करने के सम्बन्ध में	दो सौ रूपये	14(1)(ख)	9
4.	(2. फार्म–6–ए में अर्न्तराष्ट्रीय चालन A- अनुज्ञप्ति के जारी करने के सम्बन्ध में	एक हजार रूपये	14(2)(ख)	9
5.	चालन के लिये सक्षमता परीक्षण के सम्बन्ध में	तीन सौ रूपये	14(1)(ख)	9
6.	प्रपत्र–6 में चालन अनुज्ञप्ति में किसी दूसरे वर्ग के यान का परिवर्द्धन करने के संबंध में	पांच सौ रूपये	17(1)(घ)	11
7.	खतरनाक माल ले जाने वाले वाहन के लिए चालक अनुज्ञप्ति पर पृष्ठालन	एक सौ रूपये	9	27(थ)
8.	चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के संबंध में	दो सौ रूपये	18(1)(क)	15
9.	ऐसे मोटरयान चलाने के लिये जिसके लिये आवेदन अनुग्रह अवधि के पश्चात किया गया है, प्रारूप–6 में चालन में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के सम्बन्ध में	तीन सौ रूपये और फिर देरी के लिए अनुग्रह अवधि के समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष या उसके भाग के लिये एक हजार रूपये प्रतिवर्ष		15
10.	चालन अनुज्ञप्ति पता परिवर्तन या अन्य के परिवर्तन के संबंध में	दो सौ रूपये		27(थ)
11.	चालन में अनुदेश देने के लिये किसी स्कूल या संस्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के जारी करने और उसकी नवीकरण के संबंध में	दस हजार पांच सौ रूपये	24(2)	12
12.	चालन में अनुदेश देने वाले स्कूल या संस्थापन के लिये अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	पांच हजार पांच सौ रूपये	26(2)	12
13	नियम–29 निर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध किसी अपील के संबंध में	पांच हजार रूपये	30(1)	17

मंजिली गाड़ी के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति	धारा–30 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–23	1– प्रपत्र–एस0आर0–6 में आवेदन। 2– प्रपत्र–एस0आर0–7 में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3– आवेदक की चार पासपोर्ट फोटो। 4– पते का प्रमाण पत्र। 5– न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। 6– फीसः चालन अनुज्ञप्ति के किये नियत फीस का आधा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन।

मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण

कार्य का नाम	निर्धारित अधिनियम/नियम	कार्यों हेतु मानक
व्यवसाय प्रमाणपत्र का दिया जाना	केन्द्रीय मोटरयान का नियम–34	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–16 पर आवेदन। 2– वाहन के निर्माता के द्वारा अधिकृत किये जाने का प्रमाण पत्र। 3– पते का प्रमाण पत्र। 4– फर्म के बिक्री कर कार्यालय में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र। 5– फर्म के संचालक की एक पासपोर्ट साईज फोटो। 6– फर्म के द्वारा जारी किये जाने वाले फार्म–21 का प्रारूप। 7– फर्म के द्वारा कार्यालय हेतु अधिकृत किये गये प्रतिनिधियों के प्रमाणित हस्ताक्षरों की प्रति। 8– फर्म के सोसाईटी पंजीयन कार्यालय से पंजीयन प्रमाण पत्र (फाईनेंस/बॉडी मेकर व्यापार प्रमाण–पत्र हेतु)। 9– गैराजों हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति। 10– नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर।
मोटरयान का अस्थाई रजिस्ट्रीकरण	धारा–43 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 का नियम–42	1– प्रपत्र एस0आर0–17 पर आवेदन पत्र। 2– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–21 में विक्रय प्रमाण पत्र। 3– यान के बीमा प्रमाण पत्र की प्रति। 4– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–22 की प्रति। 5– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–19 की प्रति। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन।
मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण	धारा–41 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–47	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–20 में आवेदन। 2– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म –21 में यान का विक्रय प्रमाण पत्र। 3– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–22/22–ए में यान के निर्माता द्वारा जारी सड़क उपयोगिता प्रमाण पत्र। 4– वैध बीमा प्रमाण पत्र। 5– यान स्वामी के निवास स्थान/पता का प्रमाण पत्र।

		6– यान के कर जमा करने हेतु फार्म–ए पर आवेदन पत्र। 7– यान स्वामी की एक सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 8– परिवहन यान की दशा में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–38 में यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र। 9– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–19 की एक प्रति। 10–अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य/अन्य जनपद से क्रय वाहन हेतु)। 11– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। व्यवसायिक वाहनों का रजिस्ट्रीकरण आवदेन पत्र प्राप्त होने के चार दिन के भीतर। व्यवसायिक वाहनों से भिन्न का रजिस्ट्रीकरण आवदेन पत्र प्राप्त होने के तीसरे दिन।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–52(1)	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–25 पर आवेदन। 2– यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 3– यान के वैध बीमा प्रमाण पत्र की प्रति। 4– यान के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की प्रति। 5– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करना	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–53	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–26 पर आवेदन पत्र। 2– रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में पुलिस रिपोर्ट की प्रति एवं शपथ पत्र। 3– रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विरूपित हो जाने की स्थिति में मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यथास्थिति में। 4– यान के विधिमान्य बीमा प्रमाण–पत्र की प्रति। 5– यान के समस्त करों के जमा होने का प्रमाण पत्र। 6– यान के वित्तपोषक (यदि कोई है) का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 7– यान के चालान संबंधी आख्या। 8– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन।

अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में लाये गये मोटरयान पर उत्तराखण्ड राज्य के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का समनुदेशन	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–54	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म संख्या–27 पर आवेदन पत्र। 2– अनापत्ति प्रमाण पत्र (मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी)। 3– रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 4– यान का विधिमान्य प्रमाण पत्र। 5– चालन शाखा की आख्या। 6– वित्तपोषक (यदि कोई है) का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 7– विधिमान्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। 8– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर।
यान के स्वामित्व का अन्तरण	धारा–50 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–55	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–29 की दो प्रतियां। 2– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–30 पर आवेदन पत्र। 3– वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र। 4– अन्तरक एवं अन्तरती की एक–एक सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 5– अन्तरती के निवास स्थान का प्रमाण पत्र। 6– यान की मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 7– यान के समस्त कर जमा होने का प्रमाण पत्र। 8– यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र। 9– यान के अन्तरती द्वारा शपथ पत्र। 10– यान का अनापत्ति प्रमाण पत्र (अन्य राज्य/अन्य सम्भाग से आये यानों के सम्बन्ध में)। 11– यान के चालान न होने की आख्या। 12– यान के परमिट की स्थिति के संबंध में आख्या (परिवहन यानों हेतु)। 13– वाहन के वित्तपोषक (यदि कोई है) का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 14– अन्य राज्य/अन्य सम्भाग की यानों के एन0ओ0सी0 के सत्यापन के लिए समस्त प्रपत्रों की छाया प्रति एवं तीन पंजीकृत पोस्ट ऑफिस के लिफाफे। 15– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। यदि वाहन सम्बन्धित जनपद में ही पंजीकृत हो–आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर।

		यदि वाहन किसी अन्य जनपद या अन्य प्रदेश में पंजीकृत हो–मूल पंजीयन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर।
यान के स्वामी की मृत्यु पर यान के स्वामित्व का हस्तान्तरण	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–56	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–31 में आवेदन। 2– स्वामित्व उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रति। 3– अन्य आश्रितों का अनापत्ति प्रमाण पत्र शपथ पत्र के रूप में। 4– वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र। 5– यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 6– यान के समस्त कर जमा होने का प्रमाणप पत्र। 7– यान के चालान की आख्या। 8– यान के परमिट सम्बन्धी आख्या (परिवहन यानों के संबंध में)। 9– यान के ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र की प्रति (परिवहन यान के संबंध में)। 10– यान के वित्तपोषक (यदि कोई है) की अनापत्ति प्रमाण पत्र। 11– आवेदक द्वारा शपथ पत्र। 12– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। यदि वाहन सम्बन्धित जनपद में ही पंजीकृत हो–आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर। यदि वाहन किसी अन्य जनपद या अन्य प्रदेश में पंजीकृत हो–मूल पंजीयन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर।
सार्वजनिक नीलामी में क्रय किये गये यान के स्वामित्व का अन्तरण	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–57	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–32 पर आवेदन पत्र। 2– नीलामी को कराने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो आवेदक के नाम विक्रय किये जाने की पुष्टि करता हो। 3– यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 4– आवेदक की सत्यापित एक पासपोर्ट साईज फोटो। 5– आवेदक का निवास स्थान/पता प्रमाण पत्र। 6– यान का विधिमान्य बीमा प्रमाण पत्र। 7– यान का विधिमान्य प्रदूषण नियंत्रण पत्र। 8– यान के कर जमा करने हेतु फार्म–ए।

		9– लावारिस वाहनों के संबंध में फार्म–20 पर आवेदन पत्र। 10– आवेदक द्वारा शपथ पत्र। 11– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। यदि वाहन सम्बन्धित जनपद में ही पंजीकृत हो–आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर। यदि वाहन किसी अन्य जनपद या अन्य प्रदेश में पंजीकृत हो– मूल पंजीयन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र होने के तीन दिन के भीतर।
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	कन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–58	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–28 पर आवेदन पत्र, तीन प्रतियों में। 2– यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 3– यान का विधिमान्य बीमा प्रमाण पत्र। 4– पुलिस कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 5– यान के परमिट सर्मपण की आख्या (परिवहन यान हेतु)। 6– यान के समस्त कर जमा होने का प्रमाण पत्र। 7– यान का विधिमान्य ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र (परिवहन यानों हेतु)। पुलिस विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर अविक्रय करार (Hire Purchase Agreements) की प्रविष्टि करना	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–60	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–34 पर आवेदन पत्र, दो प्रतियों में। 2– यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 3– यान के वैध बीमा प्रमाण पत्र की प्रति। 4– वित्तपोषक के व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाणपत्र की छाया प्रति। 5– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। प्रस्तुत प्रपत्रों की जांच होने के दूसरे दिन।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर अवक्रय करार की प्रविष्टि को रद्द करना	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–61	1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के प्रपत्र–35 पर आवेदन पत्र, दो प्रतियों में। 2– यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 3– वाहन के वैध बीमा प्रमाण पत्र की प्रति। 4– वित्तपोषक के व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति। 5– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। प्रस्तुत प्रपत्रों की जांच होने के दूसरे दिन।

यान का ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–62	1– प्रपत्र–एस0आर0–12 में आवेदन एवं यान के निरीक्षण की आख्या। 2– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–38 पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र (पुराने यानों के लिये)। 3– विक्रय पत्र फार्म–21, फार्म–22 (नई यान हेतु)। 4– यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, अतिरिक्त कर का प्रमाण पत्र। 5– यान की चालान आख्या। 6– यान के कर जमा होने का प्रमाण पत्र। 7– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस। वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने के दिन।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–81 में निर्धारित फीस :–

क्र0 सं0	प्रयोजन	धनराशि	नियम	धारा
1	2	3	4	5
1.	प्रत्येक यान के संबंध में व्यवसाय प्रमाणपत्र का दिया जाना अथवा उसका नवीकरण करना मोटर साइकिल अशक्त यात्री गाड़ी अन्य	– पांच सौ रूपये पांच सौ रूपये एक हजार रूपये	34(1)	
2.	व्यवसाय प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति मोटर साइकिल अशक्त यात्री गाड़ी अन्य	– तीन सौ रूपये तीन सौ रूपये पांच सौ रूपये	38(1)	
3.	नियम–46 के अधीन अपील	एक हजार रूपये	46(1)	
4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना और उसका नवीकरण तथा नये रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का समनुदेशन अशक्त यात्री गाड़ी मोटर साइकिल तिपहिया/हल्का मोटरयान – (i) हल्का मोटरयान/गैर परिवहन (ii) हल्का मोटरयान/परिवहन मध्यम मालयान मध्यम यात्री मोटरयान भारी मालयान भारी यात्री मोटरयान	– पचास रूपये तीन सौ रूपये छः सौ रूपये एक हजार रूपये एक हजार रूपये एक हजार पांच सौ रूपये एक हजार पांच	46(1) 47(1), 52(2), 54(1), 76(1) और 78(1)	

	आयातित मोटरयान आयातित मोटर साइकिल कोई अन्य यान जो ऊपर वर्णित नहीं है नोटः1– यदि जारी किया गया या नवीकृत किया गया रजिस्ट्रीकरण प्ररूप 23क स्मार्ट कार्ड किस्म मे है दो हजार रूपया अतिरिक्त फीस ली जायेगी। नोटः2– रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के आवेदन में विलम्ब की दशा में मोटर साइकिल के सम्बन्ध में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए तीन सौ रूपये की अतिरिक्त फीस और अन्य गैर परिवहन यान अन्य वर्ग के सम्बन्ध मे प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए पांच सौ रूपये फीस ली जायेगी।	सौ रूपये पांच हजार रूपये दो हजार पांच सौ रूपये तीन हजार रूपये	53(2)	
5.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करना	क्रमांक 4. में वर्णित फीस का आधा	53(2)	
6.	स्वामित्व का अंतरण नोटः– अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मे विलम्ब के लिए मोटरसाईकिल के मामले मे 300.00 रूपये और अन्य के लिए 500.00 रूपये प्रतिमाह या उसके भाग के लिए अतिरिक्त लिए जायेगें।	क्रमांक–4 में वर्णित फीस का आधा	55(2)(iii), 55(3), 56(2)(क) और 57(1)(क)	
7.	निवास स्थान में परिवर्तन नोटः– अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मे विलम्ब के लिए मोटरसाईकिल के मामले मे 300.00 रूपये और अन्य के लिए 500.00 रूपये प्रतिमाह या उसके भाग के लिए अतिरिक्त लिए जायेगें।	क्रमांक 4 में वर्णित फीस का आधा	59	
8.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन की विशिष्टियों की प्रविष्टि	क्रमांक 4 में वर्णित फीस का आधा		54(4)
9.	अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का पृष्ठांकन (i) मोटर साइकिल (ii) तिपहिया/चौपहिया/हल्के मोटरयान (iii) मध्यम/भारी मोटरयान नोटः पट्टा आदि रद्द करने के लिए या उसके पश्चात नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए कोई पृथक फीस नहीं ली जायेगी।	 पांच सौ रूपये एक हजार पांच सौ रूपये तीन हजार रूपये	60	
10.	ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र देने या उसके नवीकरण करने के लिये वाहन का परीक्षण करना – (i) मोटर साईकिल	 मैनुअल–दो सौ	62(2)	

	(ii) तिपहिया यान या हल्का मोटरयान या चौपहिया साईकिल (iii) मध्यम मोटरयान या भारी मोटरयान नोटः– फिटनेस प्रमाण–पत्र की समाप्ति के पश्चात विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिये पचास रूपये अतिरिक्त फीस ली जायेगी।	रूपये आटोमेटेड–चार सौ रूपये मैनुअल–चार सौ रूपये आटोमेटेड–छः सौ रूपये मैनुअल–छः सौ रूपये आटोमेटेड–एक हजार रूपये		
11.	ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र देना या उसका नवीकरण	दो सौ रूपये	62(2)	
12.	प्राधिकार पत्र का दिया जाना और उसका नवीकरण	पन्द्रह हजार रूपये	63(2)(क)	
13.	प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना	सात हजार पांच सौ रूपये	66(2)	
14.	नियम–70 के अधीन अपील	तीन हजार रूपये	71(1)	
15.	पूर्वोक्त क्रम संख्या 1 से 14 के अधीन न आने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में	दो सौ रूपये	64(त)	

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के नियम–126 में निर्धारित फीस :–

क्र0 सं0	प्रयोजन	धनराशि (रू0 में)
1	2	3
1.	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये – (क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की–	
	(1) मंजिली गाड़ी के लिये	5800.00
	(2) माल वाहन के लिये	5800.00
	(3) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिये	7200.00
	(4) प्राइवेट सेवा यान के लिये	3600.00
	(5) बड़ी टैक्सी के लिये–	
	(i) एक सम्भाग के लिये	1800.00
	(ii) सम्पूर्ण प्रदेश के लिये	3600.00
	(6) मोटर टैक्सी के लिये –	
	(i) एक सम्भाग के लिये	900.00
	(ii) सम्पूर्ण प्रदेश के लिये	1800.00
	(iii) प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिये	1800.00
	(iv) सम्पूर्ण भारत के लिये	3000.00

	(ख) अस्थायी परमिट की –	
	(i) प्रथम तीन दिनों के लिये	360.00
	(ii) तीन दिन के पश्चात् सप्ताह के अन्त तक	360.00
	(iii) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिये	360.00
1(क)	अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसका प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए आवेदन फीस	500.00
2.	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिये आवेदन फीस	220.00
3.	परमिट के अन्तरण के लिये–	
	(i) मंजिली गाड़ी के लिये (ii) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिये	7200.00 7200.00
	(iii) माल वाहन की	600.00
	(iv) बड़ी टैक्सी की	240.00
	(v) मोटर टैक्सी की	240.00
	(vi) परन्तु यह कि परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी को परमिट के अन्तरण के लिये फीस	उक्त खण्ड (i) से (v) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी
4.	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिये	120.00
5.	राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये	
	(1) आटो रिक्शा परमिट के संबंध में	600.00
	(2) परिवहन यान के संबंध में	1200.00
	5क. राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्ति किसी प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिये	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में रू0 10.00
6.	प्रतियां देने के लिये	देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में रू0 10.00 प्रति दस्तावेज प्रति नकल।
7.	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिये	देय न्यायालय फीस के अतिरिक्त रू0 10.00 प्रति घंटा।
8.	परमिट में मोटर यान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिये	60.00
9.	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये	.....
	(i) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये	1200.00
	(ii) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये	900.00
	(iii) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है–	
	(क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के संबंध में	1200.00

	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये पूरक अनुज्ञप्ति के संबंध में	900.00
	(iv) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये यदि आवेदन समय के भीतर न हो–	.....
	(क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के संबंध में	1440.00
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये पूरक अनुज्ञप्ति के संबंध में	960.00
	(अ) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिये–	
	(क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के संबंध में	120.00
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये अनुपूरक अनुज्ञप्ति के संबंध में	90.00
10.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये	240.00
11.	किसी दस्तावेज की प्रति के लिये	देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 2.00 रू0 प्रति पृष्ठ
12.	**(क)** टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन	120.00
	(ख) सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिये टिकटों की बिक्री के लिये अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने आदि के लिये–	
	(एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	240.00
	(दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किए जाने के लिए	240.00
	(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	60.00
	(ग)	
	(एक) बैज जारी करने के लिये	120.00
	(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	240.00

4. प्रवर्तन शाखा

प्रवर्तन शाखा में वाहनों के चालान निस्तारण हेतु आवेदक के आवेदन किये जाने पर निर्धारित धाराओं में वसूल किये जाने प्रश्मन शुल्क की दरों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. **परिवहन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या–153/ix/108/2009 दिनांक 15–09–2009 के अनुसार विभिन्न अपराधों के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके समुख अंकित धाराओं के अंतर्गत प्रशमन शुल्क लिये जाने का अधिकार प्रदत्त है :–**

क्र0 सं0	अपराध का विवरण	अपराधों के प्रशमन हेतु अधिकृत अधिकारी	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा जिसके अंतर्गत अभियोग का प्रशमन किया जायेगा	प्रशमन शुल्क (रू0)

1.	मोटरयान अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबन्ध का उल्लंघन जब उसके उल्लंघन के लिये कोई शास्ति उपबंधित नहीं है।	परिवहन विभाग के परिवहन कर अधिकारी ग्रेड–1 और उनसे ऊपर श्रेणी के समस्त अधिकारी उनके द्वारा पाये गये अपराधों के विषय में जहॉ स्थानान्तरण व सेवानिवृत्ति आदि किसी कारण से ऐसा अधिकारी उपलब्ध न हो वहॉ अपराध का शमन अगले उच्चाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।	177	100.00 प्रति अभियोग
2.	टिकट या पास के बिना यात्रा करना।	तदैव	178(1)	निर्धारित किराये का दस गुना या रू0 500.00, जो भी कम हो।
3.	मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर द्वारा सवारी को टिकट देने संबंधी अपने कर्त्तव्य का निर्वाह न करना।	तदैव	178(2)	500.00
4.	ठेका गाड़ी के परमिट धारक या ड्राइवर द्वारा नियमों के उल्लंघन में गाड़ी चलाना।	तदैव	178(3) 1. दुपहिया या तिपहिया मोटरयान की दशा में	50.00
			2. अन्य यान की दशा में	200.00
5.	सक्षम किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये किसी निर्देश की अवज्ञा करना या कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचना (यदि उसके लिये अन्य कोई शास्ति उपबन्धित न हों)।	तदैव	179(1)	500.00
6.	गलत जानकारी देना या जानकारी न देना	तदैव	179(2)	500.00
7.	मोटरयान के स्वामी द्वारा अप्राधिकृत व्यक्ति को यान चलाने हेतु देना (जो कि मोटरयान अधिनियम की	तदैव	180	1000.00

	धारा–03 व 04 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता)।			
8.	विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति के बिना या निर्धारित आयु सीमा बिना मोटरयान चलाना (मोटरयान अधिनियम की धारा–03 व 04 का उल्लंघन)।	तदैव	181	500.00
9.	चालन अनुज्ञप्ति धारण करने हेतु अयोग्य होने पर मोटरयान चलाना।	तदैव	182(1)	500.00
10.	कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने हेतु अयोग्य होने पर भी मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर का कार्य करना।	तदैव	182(2)	100.00
11.	निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटरयान चलाना।	तदैव	183(1)	400.00
12.	नियोक्ता द्वारा नियंत्रणाधीन ड्राइवर से निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटरयान चलवाया जाना।	तदैव	183(2)	300.00
13.	सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना।	तदैव	184	1000.00
14.	मोटरयान चलाने के लिये मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर भी मोटरयान चलाना।	तदैव	186	200.00
15.	राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना मोटरयान की किसी दौड़ या गति का मुकाबला में भाग लेना।	तदैव	189	500.00
16.	सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन करके मोटरयान चलवाना।	तदैव	190(2)	1000.00
17.	यान में परिवर्तन करना या ऐसी हालत में विक्रय करना जिससे मोटरयान अधिनियम के अध्याय–7 का या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होता हो।	तदैव	191	500.00
18.	रजिस्ट्रीकरण या परमिट के बिना यान का उपयोग	तदैव	192	5000.00
19.	भारी मालयान या भारी यात्री	तदैव	194(1) सपठित	2000.00

	मोटरयानों की भार संबंधी परमिट की शर्तों एवं किसी क्षेत्र या मार्ग पर ऐसे यानों के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित किये जाने की शर्त का उल्लंघन कर यान चलाना।		धारा–113(2)	
20.	ऐसे यान या ट्रेलर को सार्वजनिक स्थान पर चलाना जिसका लदान रहित भार एवं लदान सहित भार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में तदनुसार विनिर्दिष्ट लदान रहित भार एवं लदान सहित भार से अधिक हो।	तदैव	194(1) सपठित धारा–113(3)	2000.00 उक्त के अतिरिक्त प्रतिटन या उसके भाग के अधिक लदान भार के लिए– 1000.00
21.	यान का भार कराने से इन्कार करना	तदैव	194(1) सपठित धारा–114	2000.00
22.	सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से किसी सड़क या पुल पर प्रतिषिद्ध यान का प्रयोग करना।	तदैव	194(1) सपठित धारा–115	2000.00
23.	माल लदे यान को यान के चालक द्वारा न रोकना तथा वाहन में लदा माल कम न करना।	तदैव	194(2)	3000.00
24.	बीमा न किये गये यान को चलाना	तदैव	196	1000.00
25	यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	तदैव	198	100.00

परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या–688/ix/435/2004 दिनांक 20–12–2004 द्वारा उत्तरांचल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के विभिन्न अपराधों के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के अंतर्गत प्रशमन शुल्क लिये जाने के लिये अधिकार प्रदत्त हैं :–

क्र0 सं0	अपराध का संक्षिप्त विवरण	अधिकारी	धारा/नियम	प्रशमन शुल्क की दरें (रू0 में)
1	2	3	4	5

1.	(क) बिना नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाना (ख) बिना हैलमेट के वाहन चलाना	नागरिक/यातायात पुलिस में नियुक्त अधिकारी नियुक्ति के जनपद की सीमा के अन्तर्गत जो उप निरीक्षक से निम्न स्तर के न हों	धारा–177 धारा–177 सपठित धारा–129	100.00 100.00
2.	विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करना	तदैव	धारा–179(1)	100.00
3.	असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना	तदैव	धारा–179(2)	250.00
4.	निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना	तदैव	धारा–183(2)	300.00
5.	मोटर वाहन खतरनाक प्रकार से चलाना/चलती वाहन में चालक द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना	तदैव	धारा–184	500.00
6.	शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने की हालत में वाहन चलाना	तदैव	धारा–186	200.00
7.	बिना सीट बैल्ट के मोटर वाहन चलाना	तदैव	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 138(3)	100.00

परन्तु नागरिक/यातायात पुलिस में नियुक्त राजपत्रित अधिकारी से भिन्न अधिकारी केवल अपराध होते समय घटना स्थल पर ही उक्त प्रकार के प्रशमन के लिए अधिकृत होंगे।

मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन के अपराध हेतु शास्तियों का सूक्ष्म विवरण :–

क्र0 सं0	अपराध का विवरण	धारा / नियम	अधिकतम शास्ति कारावास की अवधि / जुर्माना
1.	विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति के बिना गाड़ी चलाना	धारा–3 सपठित धारा–181	3 माह या रू0 500 या दोनों
2.	किसी अवयस्क द्वारा गाड़ी चलाना	धारा–4 सपठित धारा–181	3 माह या रू0 500 या दोनों
3.	यान के इन्चार्ज या स्वामी द्वारा (विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारण किये बिना) अनधिकृत व्यक्ति से यान चलाने की अनुज्ञा देना	धारा–5 सपठित धारा–180	3 माह या रू0 1000 या दोनों
4.	चालन अनुज्ञप्ति धारक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसका उपभोग करने की अनुज्ञा देना	धारा–6(2) सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
5.	चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिये निरर्हित व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाना या चालन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करना।	धारा–23 सपठित धारा–182(1)	3 माह या रू0 500 या दोनों
6.	कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिये निरर्हित व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी में कण्डक्टर के रूप में कार्य करना या कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करना	धारा–36 सपठित धारा–182(2)	1 माह या रू0 100 या दोनों
7.	विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चलाना	धारा–12 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–24 एवं धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
8.	निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में मोटरयान चलाना	धारा–112 सपठित धारा–183(1)	रू0 400 प्रथम अपराध के लिये रू0 1000 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
9.	किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्मचारी (ड्राइवर) या नियंत्रणाधीन व्यक्ति से निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में यान चलवाना	धारा–112 सपठित धारा–183(2)	रू0 300 प्रथम अपराध के लिये रू0 500 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
10.	यान में विनिर्दिष्ट भार से अधिक भार ले जाना या ले जाने देना	धारा–113(3), 114, 115 सपठित धारा–194(1)	न्यूनतम रू0 2000 और इसके अतिरिक्त रू0 1000 प्रति टन या उसके भाग के लिये साथ ही अधिक भार को उतारने के चार्जेस

11.	यान को रोकने/यान को तुलवाने के वास्ते किसी तौलयंत्र पर ले जाने से मना करने या तुलवाने से पहले लदान भार हटाना	धारा–114सपठित धारा–194(2)	रू0 3000
12.	विहित प्रकार की यांत्रिक या विद्युत संकेतन के बिना बायीं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटरयान को चलाना	धारा–120 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
13.	खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना या चलाने के लिये उकसाना	धारा–184 व धारा–188	6 माह या रू0 1000 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 2 वर्ष या रू0 2000 या दोनों यदि अपराध पिछले अपराध की 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया गया हो।
14.	शराब या मादक द्रव्यों के असर में होते हुये मोटरयान चलाना या चलाने के लिये उकसाना	धारा–185 व धारा–188	6 माह या रू0 2000 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 2 वर्ष या रू0 3000 या दोनों यदि अपराध पिछले अपराध की 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया गया हो।
15.	मोटरयान चलाने के लिये मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुये यान चलाना या ऐसे व्यक्ति को यान चलाने के लिये उकसाना	धारा–186 व धारा–188	रू0 200 प्रथम अपराध के लिये रू0 500 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
16.	बीमा ने किये गये यान को चलाना	धारा–146 सपठित धारा–196	3 माह या रू0 1000 या दोनों
17.	मोटरयान के ड्राइवर द्वारा यातायात चिन्हों का अनुसरण करने में विफल रहना	धारा–119 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
18.	मोटरयान के ड्राइवर द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विहित संकेतों का विहित अवसरों पर अनुसरण करने में विफल रहना	धारा–121 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
19.	किसी सड़क या पुल पर चलाये जाने के लिये प्रतिषिद्ध किसी यान को ऐसे प्रतिषेध का उल्लंघन करके चलाना	धारा–115 सपठित धारा–194	रू0 2000
20.	मोटरयान के ड्राइवर द्वारा किसी व्यक्ति को खड़ा रहने या बैठने या सामान रखने की अनुज्ञा देना जिससे याने के नियंत्रण मे उसे रूकावट हो	धारा–125 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
21.	किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल पर ड्राइवर सहित दो से अधिक व्यक्तियों को ले	धारा–128 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय

	जाना		या अनुवर्ती अपराध के लिये
22.	किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल पर ड्राइवर द्वारा सुरक्षात्मक टोप (हेलमेट) धारण किये बिना उसे चलाना	धारा–129 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
23.	किसी मोटरयान को सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक स्थिति में छोड़ना	धारा–122 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
24.	मोटरयान के रनिंग बोर्ड पर सवारी ले जाना या सवारी द्वारा मोटरयान के रनिंग बोर्ड या छत या बोनट पर यात्रा करना	धारा–123 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
25.	मोटरयान के चालक या प्रभारी द्वारा यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपेक्षित पूर्व सावधनियों के बिना खड़ा करना	धारा–126 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
26.	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	धारा–124 सपठित धारा–178	रू0 500
27.	रक्षक रहित रेल समतल क्रासिंग पर ड्राइवर द्वारा कतिपय पूर्व सावधानियां न बरतना	धारा–131 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
28.	वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी की अपेक्षा पर या किसी ऐसे पशु के प्रभारी (Incharge) द्वारा जब पशु के यान के डर से अनियंत्रित होने का डर हो, या यान के किसी व्यक्ति, पशु या अन्य यान के दुर्घटना ग्रस्त होने पर ड्राइवर द्वारा मोटरयान को न रोकना	धारा–132 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
29.	(1) किसी दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी द्वारा सवारी ले जाने से मना करना (2) अन्य ठेका गाड़ी द्वारा सवारी ले जाने से मना करना	धारा–178(3)(क) धारा–178(3)(ख)	रू0 50 रू0 200
30.	मोटरयान पर विहित तरीके से रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदर्शित न करना	धारा–41 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–50 एवं सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
31.	किसी निर्योग्य यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से खड़ा करना कि जिससे यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध	धारा–201	रू0 50 प्रति घण्टा

	हो		
32.	मोटरयान में ऐसे परिवर्तन करना जो उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में दी गयी विशिष्टियों से भिन्न हों	धारा–53 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
33.	किसी सार्वजनिक स्थान पर वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ड्राइवर द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति जांच के लिये पेश करने में विफल रहना	धारा–130(1) सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
34.	किसी सार्वजनिक स्थान पर वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति पेश करने में विफल रहना	धारा–130(2) सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
35.	मोटरयान के स्वामी, या उसकी अनुपस्थिति में यान का ड्राइवर या इन्चार्ज द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या परिवहन विभाग के प्राधिकृत व्यक्ति की मांग पर यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाण पत्र और परिवहन यान की दशा में उसका ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र मांगने पर प्रस्तुत करने में विफल रहना	धारा–130(3) सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
36.	ऐसे मोटरयान के स्वामी, जिसके ड्राइवर या कण्डक्टर मोटरयान अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त है किसी प्राधिकृत पुलिस अधिकारी के मांगे जाने पर ऐसे ड्राइवर या कण्डक्टर का नाम, पता और उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति की जानकारी देने में विफल रहना	धारा–133 सपठित धारा–187	3 माह या रू0 500 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 6 माह या रू0 1000 या दोनों द्वितीय एवं अनुवर्ती अपराध के लिये
37.	यान की दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को क्षति होने या सम्पत्ति का नुकसान होने पर यान के ड्राइवर द्वारा– (क) आहत व्यक्ति के लिये चिकित्सीय सहायता प्राप्त कराने के समुचित कदम न उठाना (ख) दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में या पुलिस अधिकारी को न देना (ग) यान के बीमाकर्ता को सूचना न देना	धारा–134 सपठित धारा–187	3 माह या रू0 500 या दोनों प्रथम अपराध के लिये, 6 माह या रू0 1000 या दोनों द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
38.	रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का प्रयोग/बिना फिटनेस कराये यान का प्रयोग	धारा–39 सपठित धारा–192	रू0 5000 प्रथम अपराध के लिये जो रू0 2000 से कम नहीं होगा 1 वर्ष या रू0 10000 जो रू0 5000 से कम नहीं होगा या दोनों, द्वितीय या अनुवर्ती

			अपराध के लिये
39.	परमिट के बिना यान का प्रयोग	धारा–66(1) सपठित धारा–192–क	रू0 5000 प्रथम अपराध के लिये जो रू0 2000 से कम नहीं होगा 1 वर्ष या रू0 10000 जो रू0 5000 से कम नहीं होगा या दोनों, द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
40.	मोटरयान में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार की सामग्री का प्रयोग न करना	धारा–109(3) सपठित धारा–182–क	रू0 1000 प्रथम अपराध के लिये रू0 5000 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
41.	असुरक्षित दशा वाले मोटरयान को चलाना या चलवाना	धारा–190(1)	3 माह या रू0 1000 या दोनों
42.	सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों के उल्लंघन में यान चलाना	धारा–190(2)	रू0 1000 प्रथम अपराध के लिये रू0 2000 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
43.	मानव जीवन के लिये खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के वहन से संबंन्धित मोटर यान को इसके लिये बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके चलाया जाना	धारा–190(3)	1 वर्ष या रू0 3000 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 3 वर्ष या रू0 5000 या दोनों द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
44.	मोटरयान अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत यान का विक्रय या परिवर्तन	धारा–191	रू0 500
45.	किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की अवज्ञा करना, बाधा डालना	धारा–179(1)	रू0 500
46.	किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सक्षम प्राधिकारी को जानकारी न देना	धारा–179(2)	1 माह या रू0 500 या दोनों
47.	राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना दौड़ या गति मुकाबला करना या उसमें भाग लेना	धारा–189	1 माह या रू0 500 या दोनों
48.	बिना समुचित प्राधिकार के अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में कार्य करना	धारा–93 सपठित धारा–193	रू0 1000 प्रथम अपराध के लिये 6 माह या रू0 2000 या दोनों द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
49.	प्राधिकार के बिना यान ले जाना	धारा–197	3 माह या रू0 500 या दोनों
50.	यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	धारा–198	रू0 100

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन मोटर वाहन कर की दरें:–

परिवहन यान से भिन्न मोटरयान पर एक बार देय कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यानों पर एक बार देय कर की दरें–

क्र0 सं0	यान का विवरण	एक बार देय कर की दरें (रूपये में) (03.12.2015 से)
1	2	3
1.	यान जिसका मूल्य 10 लाख रूपये तक हो	यान के मूल्य का 6 प्रतिशत
2.	यान, जिसका मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक हो	यान के मूल्य का 8 प्रतिशत
3.	यानों द्वारा खीचें जाने वाला ट्रेलर	ट्रेलर के मूल्य का 4 प्रतिशत

स्पष्टीकरण–

1. यान के मूल्य का अभिप्राय यान के एक्स शो रूम मूल्य से है, जिसमें उत्पादन लागत एवं वैट सहित सभी कर सम्मिलित है;
2. विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर से चलित यानों पर कर से छूट होगी और एथेनाल मिश्रित ईंधन से चलित यानों पर देय कर के एक प्रतिशत के बराबर छूट होगी;
3. पहले से पंजीकृत यानों पर एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में पॉच प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नही होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा;
4. रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण यान के स्वामित्व का उसके उत्तराधिकारी को अन्तरण के सिवाय, स्वामित्व अन्तरण पर [2][यान द्वारा भुगतान किये गये] एक बार देय कर की धनराशि का 10 प्रतिशत भाग संदेय होगा।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1012/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–137/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा जारी शुद्धि पत्र द्वारा संशोधित।

परिवहन यान से भिन्न पुराने मोटरयान पर एक बार देय कर से भिन्न कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक बार देय कर से भिन्न कर की दरें–

क्र0 सं0	यान का विवरण	पुराने यानों पर वार्षिक कर की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	मोटर साइकिल	200
2.	यान, जिसका लदान रहित भार 1000 कि0ग्रा0 से	

	अनधिक हो,	1000
3.	यान, जिसका लदान रहित भार 1000 कि0ग्रा0 से अधिक, किन्तु 5000 कि0ग्रा0 से अनधिक हो,	2000
4.	यान, जिसका लदान रहित भार 5000 कि0ग्रा0 से अधिक हो,	4000
5.	यानों द्वारा खीचें जाने वाला ट्रेलर,	200

स्पष्टीकरण– विधुत बैटरी अथवा सोलर पॉवर से चलित वाहनों पर कर से छूट होगी और एथेनाल मिश्रित ईंधन से चलित वाहनों पर देय कर के एक प्रतिशत के बराबर छूट होगी।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1013/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

दुपहिया, तिपहिया मोटर कैब एवं माल यान पर वार्षिक कर एवं एक बार देय कर की दरें–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (1–क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है– **सारणी–**

धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन दुपहिया, तिपहिया मोटर कैब एवं माल यान पर कर की दर–

क0 सं0	यान का विवरण	वार्षिक कर की दर (रूपये में)	एक बार देय कर की दर (रूपये में)
1	2	3	4
1.	ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वालें दुपहिया और तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिये	2[730]	10,000
2.	3[(क) ड्राइवर को छोडकर 03 से अधिक और 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब के प्रत्येक सीट के लिये]	4[845]	10,000
	5(ख) [निकाल दिया गया]		
3.	मालयान जिनका सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 से अनधिक हो, पर सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उनके भाग के लिये	1000	10,000

स्पष्टीकरण–

1. क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 और क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान जो पहले से पंजीकृत है, पर एक बार देय कर जमा करने के विकल्प की स्थिति में एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा गणना में एक वर्ष से कम की अवधि को छोड दिया जायेगा;
2. क्रम संख्या 3 के सम्मुख यथा विनिर्दिष्ट कोई माल यान जब जब किराये या पारिश्रमिक पर सवारियां ढोते हुये पाया जाय तो यथा स्थिति उसके सम्मुख स्तम्भ 3 या 4 में विनिर्दिष्ट कर के अतिरिक्त 2200 रूपये प्रति सवारी की दर से भी कर देय होगा।

6[3. [निकाल दिया गया]]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1014/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2, 3 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–134/ix–1/106/2012 दिनांक 06–02–2013 द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी।

4 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–07/ix–1/106/2012 दिनांक 03–01–2014 द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें

5, 6 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–134/ix–1/106/2012 दिनांक 06–02–2013 द्वारा बढाया गया एवं अधिसूचना सं0–07/ix–1/106/2012 दिनांक 03–01–2014 द्वारा हटा दिया गया है।

3000 किलोग्राम से अधिक भार वाले माल वाहन, निर्माण उपस्कर यान, विशेष रूप से डिजाइन किये गये यान, मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिये कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	त्रैमासिक कर की दर (रूपये में)	वार्षिक कर की दर (रूपये में)
1	2	3	4
1.	[2][(क) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिये]	[3][430]	[4][1700]
	[5][(ख) मैक्सी कैब, के प्रत्येक सीट के लिये]	[6][510]	[7][1900]
2.	माल यान, जिनका सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 से अधिक है, के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	230	850
3.	कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैक्टर के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	500	1800
4.	सन्निर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान, जो व्यवसायिक उददेश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाय, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	500	1800
5.	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे माल यानों को, जिसके साथ सड़क परिवहन मामलें में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हो और जो अपने परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड में चलाने के लिये प्राधिकृत हो, के सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	130	500
6.	ड्राईविंग स्कूल के स्वामित्व वाले मोटरयान जो चालकों के प्रशिक्षण देने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	500	1800
7.	शिक्षा संस्था बस या निजी सेवा यान या स्कूल कैब के प्रत्येक सीट के लिये	90	320

स्पष्टीकरण–

1. कृषि उपज का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले मालवाहनों के सम्बन्ध में कर की दर क्रम संख्या 2 के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयानों के सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर की, दो तिहाई होगी;

2. [8][निकाल दिया गया], और [9][क्रम संख्या 7] के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान जो वातानुकूलित हो, के लिये प्रति सीट कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी;

3. क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यान जो शिक्षण संस्थाओं के विधार्थियों को या फैक्ट्री के कर्मचारियों को संस्था तक ले जाने और ले आने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, पर कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट दर की आधी होगी।

4. इस भाग के क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट ''विशेष प्रकार के या विशेष उददेश्य से निर्मित यान'' का तात्पर्य मोबाइल वर्क शॉप, मोबाइल कैन्टिन, कैम्पर वैन या ट्रैलर, कैश वैन, फायर टेन्डरर्स, स्नोर्कड लैडर, आक्जिलरी ट्रैलर व फायर फायटिंग यान, फोर्क लिफ्ट, रिग, जनरेटर व कम्प्रेशर जैसे उपस्करों से युक्त यान या ट्रैलर कैनयुक्त यान, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टॉवर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान, प्रचार यान इत्यादि से है।

5. इस भाग के क्रम संख्या 1 एवं क्रम संख्या 7 के प्रयोजन के लिये सीट की गणना में ड्राइवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।]

[10]**6.** [इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे मालयान जिनकी रजिस्ट्रेशन के दिनांक से आयु 20 वर्ष से अधिक हो तथा माल वाहन के ऐसे माडल जिनका पहाड पर संचालन सम्भव नहीं है के लिये त्रैमासिक कर की दर में रूपये 30.00 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये एवं वार्षिक कर की दर में रूपये 100 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये, छूट होगी।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1015/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2, 3, 4, उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।

5, 6, 7 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित कर बढाया गया है।

8 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा हटा दिया गया है।

9 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित किया गया है।

10 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–135/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा बढा दिया गया है।

सार्वजनिक सेवा यानों पर कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2–क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (2–क) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों पर कर की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	प्रतिसीट कर की दर (रूपये में)		
		मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5
1.	ठेका गाड़ी 12 सीट से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली (मोटर कैब एवं मैक्सी कैब को छोडकर)	100	300	1100

2.	(1) मंजिली गाड़ी द्वारा एक माह में तय की गयी [1500 कि0मी0 तक की] दूरी के लिये–			
	[2]क [मैदानी मार्ग पर]–	[3][85]		
	[4]ख [पर्वतीय मार्गों पर]–	[5][75]		
	[6](2) [1500 कि0मी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 के लिये]–	[7][रूपये 0.04 प्रतिसीट प्रतिकि0मी0 जो उपरोक्त में जोडा जायेगा]	[8][स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना]	[9][स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना]
[10]**3.**	[मंजिली गाड़ियां जो नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर अनन्य रूप से संचालित हों]	[11][85]	[12][स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना]	[13][स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना]
[14]**4.**	[मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी मंजिली गाड़ियों को, जिसके साथ सड़क परिवहन के मामलें में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हों और जो अपने परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड में चलाने के लिये प्राधिकृत हो, द्वारा एक माह में तय की गयी 1500 कि0मी0 की दूरी के लिये]	[15][75]		
	[16][(2) 1500 कि0मी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 के लिये]–	[17][रूपये 0. 04 प्रतिसीट प्रतिकि0मी0 जो उपरोक्त में जोडा जायेगा]	[18][स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना]	[19][स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना]
5.	मोटरयान, जो एक ऐसे मार्ग पर चलते है, जिसके उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न भारत के राज्य में उसके प्रारम्भिक बिन्दु और अंतिम बिन्दु दोनों स्थित हों, किन्तु ऐसे मार्ग का कुछ भाग उत्तराखण्ड राज्य में पडता हो और ऐसे भाग की लम्बाई 16 कि0मी0 से अधिक नहीं हो, के प्रत्येक सीट के लिये	60	180	650

स्पष्टीकरण–

[20] **1.** [निकाल दिया गया]

2. वातानुकूलित यानों पर प्रति सीट कर की दर इस भाग के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटर यानों के लिये स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथा विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी।

3. इस भाग के कम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 के अधीन किसी मंजिली गाड़ी द्वारा एक मास में तय की गयी दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय, ऐसे एक फेरे में अन्तर्ग्रस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

4. इस भाग के अधीन कर मोटर यान अधिनियम,1988 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या पर देय है। इस प्रयोजन के लिये खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता, यदि कोई हो, का 50 प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा, तथा जहॉ कोई मोटरयान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहॉ प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा। सीट की गणना में मंजिली गाडी के सम्बन्ध में ड्राइवर की सीट एवं कन्डक्टर की सीट तथा ठेका गाडी के सम्बन्ध में ड्राईवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. ऐसे समय तक जब तक कि यथा स्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा सारणी समय मापनों और फेरों का निर्धारण नही कर दिया जाता है। कोई संचालक राज्य परिवहन उपक्रम सहित इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व यान द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त मासिक तय की गयी दूरी पर कर का भुगतान करेगा।

6. पर्वतीय मार्ग का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढवाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मण झूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पडता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

[21]7. [जहॉ किसी मोटर यान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से किया जाता है, जिससे कि वह एक से अधिक श्रेणी के लिये कर योग्य हो जाय, वहॉ देय कर सबसे ऊॅची समुचित दर पर होगी। परन्तु मंजिली गाडी जिसका संचालन पर्वतीय मार्गों एवं मैदानी मार्गों दोनो में होता है के द्वारा प्रतिमाह तय की गयी दूरी का 80 प्रतिशत से अधिक भाग पर्वतीय मार्गों पर पडता है से इस भाग के कम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 के 1क में विनिर्दिष्ट मोटरयानों के लिये स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर कर देय होगा।]

8. इस भाग में उल्लिखत ''नगर निगम'' और ''नगर पालिका'' का कमशः वही तात्पर्य होगा, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 यथा उत्तराखण्ड में लागू, में उनके लिये दिया गया है।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1016/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–136/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित

20 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–136/ix–1/106/2013 दिनांक 06–02–2013 द्वारा हटा दिया गया है।

21 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–08/ix–1/106/2012 दिनांक 03–01–2014 द्वारा संशोधित किया गया है।

अस्थायी पंजीकृत यानों हेतु कर की दरें–

[1][राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में अस्थायी रूप से पंजीकृत यानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अस्थायी पंजीकृत यानों हेतु कर की दर–

क0	यान का प्रकार	कर की दर प्रत्येक

सं0		तीस दिन के लिये (रूपये में)
1	2	3
1.	सभी प्रकार के दुपहिया वाहन	50
2.	छः सीट तक की क्षमता वाली सभी प्रकार की निजी वाहन	100
3.	हल्का मोटर यान	100
4.	मध्यम माल यान या मध्यम यात्री यान	200
5.	भारी माल यान या भारी यात्री यान	300]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1017/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

डीलर के कब्जे में रखी गयी वाहनों पर कर की दरें–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में उत्तराखण्ड राज्य में डीलर के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन डीलर के कब्जे में रखी गयी वाहनों पर कर की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	कर की वार्षिक दर प्रतिवाहन (रूपये में)
1	2	3
1.	दुपहिया वाहन एवं हल्का मोटरयान	50
2.	मध्यम एवं भारी मोटर यान	100

स्पष्टीकरण– कर का निर्धारण एवं भुगतान गत कैलेण्डर वर्ष में विक्रय की गयी वाहनों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि में और चालू कैलेण्डर वर्ष में डीलर के कब्जे में रही वाहनों की संख्या में अन्तर होने की दशा में यथा स्थिति कम या अधिक भुगतान किये गये कर का समायोजन/भुगतान अगले कैलेण्डर वर्ष में कर जमा करते समय किया जायेगा।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1018/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

मोटर यानों पर ग्रीन उपकर की दरें–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में सडक पर चलने के लिये उपयुक्त वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण करने और शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिये नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट उपकर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन मोटर यान पर ग्रीन उपकर–

क्र0 सं0	यान का प्रकार	उपकर की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	परिवहन यान से भिन्न यान के रजिस्ट्रीकरण के समय–	

	(क) मोटर साइकिल	400
	(ख) मोटर साइकिल से भिन्न यान	1200
2.	रजिस्ट्रेशन के दिनांक से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान से भिन्न यान के मोटर यान अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय–	
	(क) मोटर साइकिल	400 प्रति पॉच वर्ष
	(ख) मोटर साइकिल से भिन्न यान	1200 प्रति पॉच वर्ष
3.	रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 07 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अधीन फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय	400 प्रति वर्ष]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1019/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

सार्वजनिक सेवा यानों पर ''विशेष कर'' की दर–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 4क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते है–

सारणी–

धारा 4क के अधीन सार्वजनिक सेवा यान पर ''विशेष कर'' की दर–

यान का विवरण	प्रतिदिन कर की दर (रूपये में)
1	2
विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहॉ ले जाने और वहॉ से लाने और बारात, पर्यटक यात्रियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिये जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले मंजिली गाडियों पर, ड्राइवर को छोडकर प्रत्येक सीट के लिये–	08

स्पष्टीकरण–

1. विशेष कर की गणना के लिये उतने दिनों की गणना नही की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाडियां उत्तराखण्ड से बाहर संचालित की गयी हो;
2. 2[ऐसी किसी मोटर यान के सम्बन्ध में किसी माह की अवधि में विशेष कर की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा अस्थायी परमिट प्राप्त करते समय किया जायेगा।]]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1020/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

2 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–138/ix–1/106/2012 दिनांक 06–02–2013 द्वारा संशोधित ।

उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के प्राधिकारी द्वारा दिये गये अस्थायी परमिट पर संचालित माल यान एवं सार्वजनिक सेवा यान पर कर की दर–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) और

(ग) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) और (2क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते है–

सारणी–1

धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन माल यान पर देय ''कर'' की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	कर की दर (रूपये में)
1	2	3
	मालयानों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड में संचालन के लिये–	
	(क) 3000 कि0ग्रा0 से कम सकल यान भार वाले वाहन, प्रत्येक सात दिन या उसके भाग के लिये	150
	(ख) हल्का मालयान प्रतिदिन	50
	(ग) मध्यम मालयान प्रतिदिन	75
	(घ) भारी मालयान प्रतिदिन	100

स्पष्टीकरण– उत्तराखण्ड से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत माल यान, जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परमिट से छूट प्रदत्त न हो, उत्तराखण्ड में बिना परमिट चलता हुआ पाया जाय तो ऐसे यान के सम्बन्ध में स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर से छः गुने के बराबर कर की राशि देय होगी।

सारणी–2

धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ग) के साथ पठित धारा 4 के उपधारा (2) और (2–क) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों पर देय ''कर'' की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	कर की दर रूपये में
1	2	3
1.	उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न अन्य राज्य के प्राधिकारी द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन जारी अस्थायी परमिट तथा धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी परमिट से आच्छादित सार्वजनिक सेवायान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड में संचालन पर प्रति दिन प्रत्येक सीट के लिये–	
	(क) सामान्य	20
	(ख) वातानुकूलित	30
2.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालन के दिनों के सिवाय वाहन के राज्य में खडे (असंचालित) रहने की दशा में प्रत्येक दिवस के लिये	200

स्पष्टीकरण–

1. भारत के किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहन को जिनके सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन परमिट प्रदान किये गये हों, उक्त कर के भुगतान से छूट होगी, बशर्ते उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्ट्रीकृत एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी परमिट से आच्छादित पर्यटक वाहनों को भी कर, अतिरिक्त कर, स्पेशल कर, जिस नाम से भी जाना जाय, की देयता से ऐसे अन्य राज्य में छूट प्रदान की गयी हो और जिसके सम्बन्ध में उसी प्रकार के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदान किये गये है;

2. उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत सार्वजनिक सेवायान जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परमिट से छूट प्रदत्त न हो, उत्तराखण्ड में बिना परमिट चलता हुआ पाया जाय तो ऐसे यान पर नीचे दी गयी दर पर कर देय होगा–

(क) सामान्य सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक सीट के लिये कर 100 रूपये

(ख) वातानुकूलित सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक सीट के लिये कर 150 रूपये

3. सारणी–2 के क्रम संख्या 2 के स्तम्भ 2 में उल्लिखित संचालन व खडे रहने के दिनों की संख्या परमिट के साथ प्रस्तुत भ्रमण कार्यक्रम के आधार पर विनिश्चित किया जायेगा। परन्तु यह भी कि खड़े रहने के दिवसों में संचालन पाये जाने पर पूरी अवधि में देय कर का पॉच गुना देय होगा।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1021/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

एक बार देय कर की वापसी की दर–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 12 सन् 2003) की धारा 12 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते है–

सारणी–

धारा 12 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन एक बार देय कर की वापसी की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	कर वापसी की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	मोटरयान जिसके सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान किया गया हो और मोटरयान की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विहित एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग न किया गया हो।	प्रत्येक मास के अनुप्रयोग के लिये वापसी की धनराशि जमा धनराशि का 0.005वा भाग होगा।
2.	परिवहन यान से भिन्न मोटर यान जिसके सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान किया गया हो और धारा 12 की उपधारा (5) के अन्तर्गत विहित ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कर का भुगतान कर दिया गया हो, या उसे परिवहन यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो, या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया हो।	जमा कर की धनराशि में से यान के उत्तराखण्ड राज्य में गैर परिवहन यान के रूप में प्रयोग अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये पॉच प्रतिशत कटौती के पश्चात शेष धनराशि वापस की जायेगी, किन्तु वापसी की अधिकतम सीमा पचहत्तर प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण–

इस हेतु वर्ष की गणना उत्तराखण्ड राज्य में पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा गणना में एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1022/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

गैर परिवहन यान जो परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाय के लिये कर की दर–

1[राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0– 12 सन 2003) की धारा 10 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करके ऐसे गैर परिवहन यान जो परिवहन यान के रूप में जब भी चलते पाये जाये के लिये चालक को छोडकर 2200/ रूपया प्रति सीट की दर से कर नियत करते है।]

1 उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0–1023/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 01–12–2012 से प्रभावी

(छ) उत्तराखण्ड से भिन्न किसी राज्य द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान किये गये राष्ट्रीय परमिट पर संचालित माल वाहन पर केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 87 के अधीन विहित रीति से प्रतिवर्ष रू0 16500.00 समेकित फीस का भुगतान।

कार्यालय में प्रयोग होने वाले समूल्य बिक्री फार्म :

क्र0 सं0	फार्म का क्रमांक	फार्म के प्रयोग होने का विवरण	मोटरयान अधिनियम के नियम एवं धाराएं।
1.	फार्म–1	शारीरिक योग्यता के संबंध में घोषणा पत्र	5(2)
2.	फार्म–1ए	चिकित्सा प्रमाण पत्र	5, 7, 10(ए), 14(डी), 18(डी)
3.	फार्म–2	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का आवेदन पत्र	10
4.	फार्म–4	चालक अनुज्ञप्ति का आवेदन पत्र	14
5.	फार्म–8	चालन अनुज्ञप्ति में यान के नये वर्ग जोड़ने के लिये आवेदन पत्र	17(1)
6.	फार्म–9	चालन अनुज्ञप्ति की नवीकरण के लिये आवेदन पत्र	18(1)
7.	फार्म–16	व्यवसाय प्रमाण पत्र देने या नवीकरण के लिये आवेदन पत्र	34(1)
8.	फार्म–20	मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र	47
9.	फार्म–ए	नई वाहनों के कर जमा हेतु आवेदन पत्र	
10.	फार्म–25	परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु आवेदन पत्र	52(1)
11.	फार्म–26	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रीकरण की द्वितीय प्रति हेतु आवेदन पत्र	53
12.	फार्म–27	अन्य राज्यों की वाहनों को स्थानीय पंजीयन नम्बर आवंटन हेतु आवेदन पत्र	54
13.	फार्म–28	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र	54, 58(1)
14.	फार्म–29	मोटरयान के स्वामित्व अन्तरण हेतु आवेदन पत्र	55(1)
15.	फार्म–30	मोटरयान के स्वामित्व अन्तरण की सूचना	52(2), (3)
16.	फार्म–31	यान स्वामी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस द्वारा यान के हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र	56(2)

17.	फार्म–32	नीलाम हुई यानों के हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र	57(1)
18.	फार्म–33	यान स्वामी के पता परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र	59
19.	फार्म–34	रजिस्ट्रीकरण के पश्चात किये गये किराया क्रय, पट्टा, बंधक करार की प्रविष्टि किये जाने हेतु आवेदन पत्र	60
20.	फार्म–35	किराया क्रय, पट्टा, बंधक करार की समाप्ति की सूचना	61(1)
21.	फार्म–36	वित्तपोषक के नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिये आवेदन	61(2)
22.	फार्म–38	यान ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रपत्र	62(1)
23.	फार्म–45	पर्यटक यान परमिट हेतु आवेदन पत्र	82(1)
24.	फार्म–46	राष्ट्रीय पर्यटक वाहनों के ऑथाराईजेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र	83(1), 87(1)
25.	फार्म–48	नैशनल परमिट हेतु आवेदन पत्र	86

-XXXX-

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।

''नागरिक चार्टर''

(उत्तराखण्ड में दिनांक 11–06–2007 तक प्रवृत्त)

प्रस्तावनाः–

परिवहन विभाग का यह संकल्प है किः–

1– प्रत्येक आवेदक को त्वरित, दक्ष एवं मैत्रीपूर्ण सेवा सत्यनिष्ठा के साथ प्रदान करेगा।

2– अपने सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पारदर्शिता बनाये रखते हुये पूरा करेगा।

3– प्रत्येक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाने की दशा में आवेदन के कारण सूचित करेगा।

4– कार्यालय परिसर के अन्दर जन सामान्य के सूचनार्थ विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु अपेक्षित प्रपत्रों/प्रारूपों तथा निर्धारित शुल्क एवं उनके कार्यों को सम्पादित करने वाले अधिकारी/कक्ष को इंगित करते हुये उपयोगी सूचना पट प्रदर्शित करेगा।

5– नागरिकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये प्रयत्नशील रहेगा कार्यों को समयबद्ध निस्तारण हेतु परिवहन विभाग द्वारा निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की जाती हैः–

कार्य	निर्धारित समय
1– वाहनों का पंजीयन ''अव्यवसायिक''	आवेदन पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर
2– व्यवसायिक वाहनों का पंजीयन	आवेदन पत्र प्राप्ति के 4 दिन के अन्दर
3– शिक्षार्थी लाइसेंस	परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि में विलम्बतम दूसरे दिन
4– स्थायी लाइसेंस ''अव्यवसायिक''	परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि में विलम्बतम दूसरे दिन
5– स्थायी ''व्यवसायिक'' लाइसेंस	परीक्षा उत्तीर्ण होने के दूसरे दिन
6– पते में परिवर्तन	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन
7– वाहन हस्तान्तरण ''यदि वाहन सम्बन्धित जनपद में ही पंजीकृत हो''	आवेदन पत्र प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर
8– वाहन हस्तान्तरण ''यदि वाहन किसी अन्य जनपद अथवा अन्य राज्य में पंजीकृत हो	मूल पंजीयन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर
9– अनापत्ति प्रमाण पत्र	पुलिस विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
10– हायर परचेज पृष्ठांकन एवं निरस्तीकरण	प्रस्तुत प्रपत्रों की जॉच पूर्ण होने के दूसरे दिन
11– उत्तर प्रदेश पंजीयन चिन्ह आवंटन	अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर

12– लाइसेंस की द्वितीय प्रति	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
13– पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
14– विशेष अस्थायी एवं भारवाहन परमिट सम्बन्धी आवेदन	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
15– परमिट जारी करना नवीनीकरण एवं हस्तान्तरण	प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान होने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
16– स्वस्थता प्रमाण पत्र	वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने के दिन
17– प्रदूषण मुक्त वाहन	जॉचोंपरान्त प्रदूषण मुक्त पाये जाने की दशा में उसी दिन
18– मार्गकर निर्धारण एवं प्रविष्टि ''व्यवसायिक वाहन''	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
19– मार्गकर/मालकर निर्धारण एवं प्रविष्टि ''अव्यवसायिक''	आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीसरे दिन
20– यात्रीकरण निर्धारण	प्रत्येक त्रैमास का अगले माह के 25 तारीख तक
21– कर माफी	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के अन्दर
22– व्यापार प्रमाण पत्र	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के एवं एक सप्ताह के अन्दर
23– मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का लाइसेंस	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के अन्दर

मोटर दुर्घटना से ग्रसित आश्रितों को आर्थिक सहायता–

यात्री बसों से हुयी दुर्घटना के मामलें में परिवहन आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से दुर्घटना पीडितों को यात्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता देय होती है। जिलाधिकारी से मजिस्ट्रीयल जॉच आख्या प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर धनराशि की स्वीकृति परिवहन आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी को भेज दी जायेगी।

आर्थिक सहायता देने का प्राविधान सोलेशियम स्कीम 1989 में है। इसके लिये जिलाधिकारी से सम्पर्क किया जाय।

3– ज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर दुर्घटना की तिथि से एक साल के अन्दर जिला दुर्घटना क्लेम ट्रिव्यूनल अर्थात जिला जज के न्यायालय में नियमानुसार आवेदन पत्र देना चाहिए।

इस आवेदन पत्र के साथ ही मोटरयान अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत तत्काल मुआवजे का आवेदन पत्र भी दिया जा सकता है।

विभाग बचन देता है किः–

अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता बनाये रखने तथा विभाग से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाओं को जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य की पूर्ति हेतुः–

1— कार्यालय प्रांगण में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये प्रयोग में आने वाले फार्मों का विवरण वॉछित औपचारिकतायें एवं प्रपत्र, निर्धारित शुल्क कार्य सम्पादित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

2— विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रति जमा किये जाने वाले कर की धनराशि को सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

3— अल्प मूल्य में विभिन्न कार्यों के लिये प्रयोग में आने वाले फार्मों का विवरण विभाग सुनिश्चित करेगा।

4— कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेगा।

शिकायतों का निस्तारणः—

1— शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 15 दिन के अन्दर जॉच पूरी कर दी जायेगी तथा लिये गये निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जायेगी।

2— यदि निचले स्तर पर शिकायत का निस्तारण नही होता तो विभिन्न स्तर पर अधिकारियों तक पंहुचने की सुविधा विभाग प्रदान करेगा।

नागरिकों से विभाग की अपेक्षाः—

1— आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रपत्रों को साथ में संलग्न करते हुये ही प्रस्तुत किये जाय।

2— आयु एव पते के प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रमाण पत्र नियमों में निर्धारित प्रारूप की शक्ल में स्पष्ट पठनीय एवं सही प्रस्तुत किये जाय।

3— सरकारी देयों की अदायगी समय से की जाय।

4— विभागीय कार्यों में दलालों अथवा बिचौलियों का सहयोग न प्राप्त किया जाय।

कृपया अपने सुझाव एवं शिकायतों के सम्बन्ध में निम्न पते पर पत्राचार अवश्य करें।

परिवहन आयुक्त,
टेढी कोठी
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या— 226(शा)सा0प्र0/98—3टीआर/98 **लखनऊ दिनांक 03.08.98**

समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ''प्रशासन'' उत्तर प्रदेश।

कृपया उपरोक्त नागरिक चार्टर की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि नागरिकों के अधिकारों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन से सम्पर्क कर जन जागरण एवं प्रचार प्रसार करायें ताकि उपरोक्त नागरिक चार्टर का लाभ जनता को मिल सके तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

डॉ0 सूर्य प्रताप सिंह
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is please to order the publication of the following English translation of notification no. 2050/30-4-98-172/89, dated 1 september/1998

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 200 of motor vehicles act, 1988 (act no. 59 of 1988) read with section 217 of the said act of 1988 and section 21 of the general clauses act, 1897 (act no. 40 of 1897) and in suppression of Government notification no. 3859T/30-4-172/89, dated Febrary 21, 1995, the Governor, is pleased to direct that the officers specified in column no. 1 may, compound the offences punishable under section specified in column no. 2 for amounts specified against each section i.e column no. 3 of the schedule below-

SCHEDULE

Officers who may compound offences	Section of the moter vehicles act, 1988 under which an offence is to be compounded	Amount for which an offence is to be compounded in rupees
1	**2**	**3**
All officers of the Transport Department of the rank of passenger tax officer, goods tax officers and above in respect of the offences detected by them.	177 178(1)	50.00 each offence. Ten times of the actual fare payable or rupees five hundred whichever is less
Where however, such an officer is not available due	178(2)	250.00

to transfer retirement etc. the offences can be compounded by the next higher officer		
	178(3)(a)	25.00
	178(3)(b)	100.00
	179(1)	250.00
	179(2)	250.00
	180	500.00
	181	250.00
	182(1)	250.00
	182(2)	50.00
	183(1)	200.00
	183(2)	150.00
	184	500.00
	186	100.00
	189	250.00
	190(2)	1000.00
	191	250.00
	192	2500.00
	194(1) vehicles plying in contravention of the provisions of- (I) Section 113(1)	1000.00
	(II) Section 113(2) (a) in respect of medium and heavy motor vehicle (b) in respect of light moter vehicle (c) in respect of motor cycle	1000.00 800.00 600.00
	(III) Section 113(3) in addition to above for excess load per tone or part there of	2000.00 1000.00
	(IV) Section 114	1000.00
	(V) Section 115	1000.00
	194(2)	1500.00
	196	500.00
	198	50.00

Note- For every second or subsequent offence under the above section the compounding fee shall be fifty percent of the maximum fine prescribed for any second or subsequent offence.

By order

Sp/-
S. P. Arya
Pramukh Sachiv

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 298(शा)/सा0प्र0/98–16टीआर/84 लखनऊ दिनांक 02.09.98

समस्त उप परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश।
समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन/प्रशासन उत्तर प्रदेश।

कृपया उपरोक्त आदेशों के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों के अनुसार तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

राम संजीवन
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा0)
उत्तर प्रदेश

पृ0सं0–298(1)/सा0प्र0/98–समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त मुख्यालय के अधिकारीगण परिवहन आयुक्त को छोडकर।
2– समस्त यात्रीकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राम संजीवन
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा0)
उत्तर प्रदेश

क0सं0–154

पंजीकृत संख्या यू0ए0/डी0एन0–30/03
लाइसेंस टू पोस्ट विदआउट प्रीपेमेन्ट

उत्तराखण्ड राज्य का चिन्ह

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 20 दिसम्बर 2004 ई0

पौष 29, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

परिवहन विभाग

संख्या 688/ix/435/2004

देहरादून 20 दिसम्बर 2004

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या–59 सन् 1988) की धारा 217 एवं साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों एवं उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या–5609/छ–पु0/2–94–200(3)/94 दिनांक 05.01.95 को अतिक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल महोदय यह निर्देश देते है कि नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ 2 में इंगित अधिकारी स्तम्भ 5 के अनुसार प्रत्येक धारा के समक्ष विनिर्दिष्ट धनराशि के लिये स्तम्भ 3 में उल्लिखित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन कर सकेंगे–

क0 सं0	अधिकारी	धारा	अपराध का संक्षिप्त विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क की नियत दरें (रू0 में)
1	नागरिक/यातायात पुलिस में नियुक्त अधिकारी नियुक्ति के जनपद की सीमा के अन्तर्गत जो उप निरीक्षक से निम्न स्तर के न हो	धारा 177	बिना नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाना	100.00

2		धारा 177 सपठित धारा 129	बिना हेल्मेट के वाहन चलाना	100.00
3		धारा 179(1)	विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करना	100.00
4		धारा 179(2)	असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना	250.00
5		धारा 183(2)	निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना	300.00
6		धारा 184	मोटर वाहन खतरनाक प्रकार से चलाना/चलती वाहन में चालक द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना	500.00
7		धारा 186	शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने की हालत में वाहन चलाना	200.00
8		केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 138(3)	बिना सीट बेल्ट के मोटर वाहन चलाना	100.00

परन्तु नागरिक/यातायात पुलिस में नियुक्त राजपत्रित अधिकारी से भिन्न अधिकारी केवल अपराध होते समय घटना स्थल पर ही उक्त प्रकार के प्रशमन के लिये अधिकृत होंगे।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
परिवहन अनुभाग
अधिसूचना
17 मई, 2003 ई0

संख्या–177 / परि0 / 2003 चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है अतएव राज्य सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (यथा उत्तरांचल मे लागू) की धारा 206 एवं धारा 207 के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा उत्तरांचल के समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट को अग्रिम आदेशों तक, उनकी अधिकारिता क्षेत्र हेतु प्राधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

राजीव चन्द्र जोशी,
अपर सचिव।

नागरिक चार्टर
CITIZEN'S CHARTER

उत्तराखण्ड राज्य चिन्ह

परिवहन विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

नागरिक चार्टर (**Citizen's Charter**)

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	विवरण
1	हमारी संकल्पना
2	विहगम दृष्टि वर्ष 2002–2007
3	हमारा उत्तरदायित्व
4	हमारे कार्य
5	मोटरयान दुर्घटना राहत सेवा योजना
6	नागरिकों से विभाग की अपेक्षा
7	जनता से सम्पर्क
8	विभागीय कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकतायें एवं देय शुल्क एवं कार्य निस्तारण की अवधि
	पंजीयन सम्बन्धी कार्य
	लाईसेन्स सम्बन्धी कार्य
	परमिट सम्बन्धी कार्य

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य चिन्ह
दिनांक 12–06–2007 को प्रकाशित एवं प्रवृत्त

नागरिक चार्टर (Citizen's Charter)

हमारी संकल्पना

भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में सडक परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम, पावन तीर्थ हरिद्वार एवं ऋषिकेश इसी राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त पहाडों की रानी के नाम से विख्यात मसूरी एवं नैनीताल पर्यटन स्थल देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते है। अतः राज्य में स्थानीय यातायात के अतिरिक्त देश–विदेश से भी तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों का आवागमन वर्ष भर बना रहता है। परिवहन विभाग यात्रियों को सुलभ, आरामदायक एवं दुर्घटना रहित यातायात के साधन उपलब्ध कराने के लिये सतत प्रयत्नशील है।

परिवहन विभाग का यह संकल्प है कि –

- राज्य में सडक दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना।
- सभी मार्गों पर यातायात के समुचित साधन उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक आवेदक को त्वरित, दक्ष एवं मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान करना।
- विभाग में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण।
- विभाग की सेवायें प्रत्येक जनपद में उपलब्ध करानां

सूचना प्रौधोगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करते हुये विभागीय सूचनाओं की जन जन तक उपलब्धता।

विहगम दृष्टि

- राज्य में दुर्घटना की रोकथाम हेतु चालकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के उददेश्य से चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
- सडक सुरक्षा के क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिये पुनश्चर्या/Refresher प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से।
- प्रत्येक जनपद में परिवहन विभाग के कार्यालयों की स्थापना।
- परिवहन विभाग के सभी कार्यालय राजकीय भवनों में स्थापित करना।
- राज्य की सीमा पर परिवहन चैकपोस्टों की स्थापना करना।
- सूचना प्रौधोगिकी के प्रयोग एवं जनता को त्वरित सेवा प्रदान करने हेतु विभाग का कम्प्यूटरीकरण।
- अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के उददेश्य से अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार।

हमारा उत्तरदायित्व–

- मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) का क्रियान्वयन।
- उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन।
- विभाग के लिये निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति करना।
- वाहनों के अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना।
- नये मार्गों पर आवश्यकतानुसार परिवहन सुविधा प्रदान किया जाना।
- सडक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करना।

हमारे कार्य–

परिवहन विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है।

- वाहनों का पंजीयन करना।
- चालकों एवं परिचालकों को चालक/परिचालक लाईसेन्स जारी करना।
- व्यवसायिक वाहनों को स्टेज कैरेज, कान्ट्रैक्ट कैरेज, मालयान परमिट जारी करना।
- वाहनों का तकनीकी निरीक्षण कर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करना।
- अनाधिकृत , कर अपवंचना एवं नियम विरूद्ध संचालित वाहनों की रोकथाम हेतु प्रवर्तन दलों एवं चैकपोस्टों के माध्यम से प्रवर्तन की कार्यवाही।
- चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता प्रदान करना।
- समय समय पर वाहनों के प्रदूषण के सम्बन्ध में जॉच हेतु निजी क्षेत्र में प्रदूषण जॉच केन्द्रों को मान्यता प्रदान करना।
- सार्वजनिक सेवा यानों की दुर्घटना की दशा में मृतक आश्रितों/घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

मोटरयान दुर्घटना राहत सेवा योजना–

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यानों से सम्बन्धित यात्रियों की दुर्घटना की स्थिति में मृतक आश्रित एवं घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त राहत राशि परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से आवंटित की जाती है। मोटर दुर्घटना राहत सेवा योजना के अन्तर्गत देय राहत राशि का विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	दुर्घटना/क्षति का विवरण	देय राहत की धनराशि (रूपयें)
1	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	50,000
2	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में जबकि प्रभावित यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थायी निशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इसमें निम्नलिखित मामलें भी सम्मिलित है– (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि	50,000

	(ब) दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	
3	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में यथा– (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि (स) दोनों कानों के सुनने की हानि (द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि (य) यदि घायल व्यक्ति को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पडे।	20,000
4	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में (क्रमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में)	5,000

किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सोलेशियम स्कीम 1989 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिये सम्पर्क किया जा सकता हैं। जबकि ज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर जिला दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल अर्थात जिला जज के न्यायालय में नियमानुसार आवेदन किया जा सकता हैं इस आवेदन पत्र के साथ ही मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 165 के अन्तर्गत तत्काल मुआवजे के लिये आवेदन भी किया जा सकता है।

नागरिकों से विभाग की अपेक्षा–

- ✓ आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित प्रपत्रों के साथ संलग्न करते हुये सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाय।
- ✓ आयु एव ंपते के प्रमाणपत्र नियमानुसार पठनीय एवं सही प्रस्तुत किये जाय।
- ✓ सरकारी देयों का भुगतान समय से किया जाय।
- ✓ विभागीय कार्यों में जनता अधिकारी/कर्मचारी से सीधे सम्पर्क करें। कृपया बिचौलियों को हतोत्साहित करने में विभाग का सहयोग करें।
- ✓ सडक सुरक्षा नियमों का पालन करें और राज्य को शून्य दुर्घटना राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें।
- ✓ नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न दें।

जनता से सम्पर्क–

- परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण सूचनायें जनता के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाईट gov.ua.nic.in/transport पर उपलब्ध है।
- वेबसाईट के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यों यथा– वाहनों का पंजीयन, चालक लाईसेन्स, परमिट, प्रशमनशुल्क, प्रदूषण जॉच केन्द्र, प्रदूषण मानक, कर ढॉचा, चार धाम यात्रा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध करायी गयी है।
- परिवहन विभाग में प्रयुक्त किये जाने वाले आवेदन पत्र (फार्म) भी उक्त वैबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है।
- परिवहन विभाग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में यदि आपके कोई सुझाव अथवा शिकायत हो तो आप उपरोक्त वेबसाईट पर प्रेषित कर सकते है।

विभागीय कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकतायें एवं देय शुल्क एवं कार्य निस्तारण की अवधि–

- विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले जनसम्पर्क के कार्यों, अपेक्षित औपचारिकतायें, देय शुल्क एवं कार्य निस्तारण अवधि का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	आवश्यक दस्तावेज	निर्धारित शुल्क	कार्य दिवस
1	वाहन का सामान्य पंजीयन	फार्म सं0–20,21,22 & A वाहन के बिल की मूल प्रति, वैधबीमा की सत्यापित प्रति निवास प्रमाणपत्र एवं एक फोटो	1–अशक्त यात्री वाहन– 20.0 2–मोटर साइकिल– 60.00 3–हल्का मोटरयान 1–गैर परिवहन– 200.00 2– परिवहन– 300.00 4–मध्यम वाहन – 400.00 5–भारी वाहन– 600.00 6–आयातित वाहन– 800.00 7–आयातित मो0साइकिल–200.00 8–कोई अन्य वाहन जो ऊपर वर्णित नही है– 300.00	अव्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने के 2 दिन के अन्दर व्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने 4 दिन के अन्दर
2	वाहन का स्वामित्व हस्तान्तरण	1–फार्म सं0–29(दो प्रतियों में), 30 2–वैधबीमा की सत्यापित प्रति 3–निवास प्रमाणपत्र एवं एक फोटो 4–मूल पंजीयन प्रमाणपत्र 5–अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) 6–व्यवसायिक वाहन की दशा में परमिट समर्पण/निरस्तीकरण अथवा हस्तान्तरण के प्राधिकार की अनुमति 7–संविदा की दशा में फाइनेन्सर की सहमति 8–क्रेता विक्रेता के फोटो	क्रमांक 01 पर उल्लिखित फीस की आधी (वाहन के वर्ग के अनुसार)	यदि वाहन सम्बन्धित जनपद में पंजीकृत हो तो आवेदन पत्र के तीन दिन के अन्दर। यदि वाहन किसी अन्य जनपद या प्रदेश में पंजीकृत हो तो मूल पंजीयन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर अथवा आवेदन पत्र देने के अधिकतम 50 दिन के अन्दर
3	अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना	1–फार्म संख्या–28 (तीन प्रतियों में) 2–मूल पंजीयन प्रमाणपत्र 3–व्यवसायिक वाहन की दशा में परमिट समर्पण/निरस्तीकरण की आख्या 4–पुलिस विभाग से किसी अपराध में वांछित न होने सम्बन्धी आख्या		पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
4	हायर पर्चेज	1–फार्म संख्या–34 (अंकन की दशा में), 35 (निरस्तीकरण की दशा में) 2–मूल पंजीयन प्रमाणपत्र	रूपये– 100.00	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दूसरे दिन
5	पंजीयन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति	1–फार्म संख्या–26 2–पुलिस एफआईआर की रिपोर्ट	क्रमांक 01 पर उल्लिखित फीस की आधी (वाहन के वर्ग के अनुसार)	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
6	शिक्षार्थी लाइसेंस	1–फार्म संख्या–1, 2 2–निवास प्रमाण पत्र 3–आयु के प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति	प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिये रूपये– 30.00	परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से विलम्बतम दूसरे दिन

		4–16–18 वर्ष के मध्य आयु वालों के सम्बन्ध में अभिभावक की सहमति 5–व्यवसायिक लर्निंग लाइसेंस हेतु कम से कम एक वर्ष पुराना वैध हल्की वाहन चालक लाइसेंस की प्रति 6–चार नवीनतम फोटो		
7	स्थायी लाइसेंस	1–फार्म संख्या–4 2–वैध शिक्षार्थी लाइसेंस (न्यूनतम 30 दिन की अवधि पूर्ण होने पर) 3–व्यवसायिक लाइसेंस के लिये फार्म संख्या–5 पर मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल का प्रमाणपत्र 4–तीन नवीनतम फोटो	चालान सक्षमता परीक्षण रूपये 50.00 प्रारूप 6 में जारी होने वाले लाइसेंस के लिये रूपये 40.00 प्रारूप 7 में जारी होने वाले लाइसेंस के लिये रूपये 200.00	परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से विलम्बतम दूसरे दिन
8	लाइसेंस की द्वितीय प्रति	1–आवेदन पत्र 2–पुलिस एफआईआर की रिपोर्ट 3–शपथपत्र 4–दो नवीनतम फोटो	क्रम संख्या–7 पर उल्लिखित फीस के बराबर	आवेदन पत्र प्राप्त होने दूसरे दिन
9	कण्डक्टर लाइसेंस	1–फार्म सं0–एसआर 6 2–निर्धारित शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित प्रमाण पत्र 3–मेडिकल सर्टिफिकेट किसी राजकीय डाक्टर द्वारा फार्म एसआर 7 पर 4–तीन नवीनतम फोटो	ड्राईविंग लाइसेंस फीस की आधी	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
10	कण्डक्टर लाइसेंस की द्वितीय प्रति	1–फार्म संख्या–एसआर–10 2–पुलिस एफ0 आई0आर0 की रिपोर्ट 3–शपथपत्र 4–तीन नवीनतम फोटो	ड्राइविंग लाईसेंस फीस की आधी	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
11	लाईसेंस का नवीनीकरण	1–फार्म संख्या–1, 9 2–मूल लाईसेंस 3–तीन नवीनतम फोटो 4–पता परिवर्तन की स्थिति में पते का प्रमाण पत्र	प्रारूप 6 के लिये रूपये– 50.00 प्रारूप 7 के लिये रूपये– 200.00 विलम्ब फीस रूपये– 100.00	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन
12	फिटनेस	1–डी0वी0आई0 फार्म 2–वैध बीमा प्रमाणपत्र 3–नियंत्रित प्रदूषणप्रमाण पत्र 4–वाहन निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करें 5–समस्त देयों के भुगतान सम्बन्धी प्रमाणपत्र 6–कार्यालय में चालान लम्बित न होने का प्रमाण पत्र	परीक्षण शुल्क– 1–दो/तीन पहिया वाहन–100.00 2–हल्का मोटरयान– 200.00 3–मध्यम मोटरयान– 300.00 4–भारी मोटरयान– 400.00 प्रमाणपत्र शुल्क– 100.00	वाहन स्वस्थ घोषित किये जाने वाले दिन
13	फिटनेस प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति	1–सादे कागज पर आवेदन पत्र 2–शपथपत्र/पुलिस एफ0 आई0 आर0 की रिपोर्ट	रूपये 50.00	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन

14	प्रदूषण प्रमाणपत्र	वाहन जॉच केन्द्र पर लाना होगा	रूपये– 20.00 मात्र	प्रदूषण मुक्त पाये जाने पर उसी दिन
15	परमिट जारी, नवीनीकरण एवं प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये	1–मंजिली गाडी के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–20 2–ठेका गाडी के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–21 3–माल वाहन के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–22 4–प्राईवेट सेवायान के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–23	अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट 1–मंजिली गाडी के लिये– 4800.00 2–माल वाहन के लिये– 4800.00 3–मोटर टैक्सी, बडी टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी के लिये– 6000.00 4–प्राईवेट सेवायान के लिये– 3000.00 5–बडी टैक्सी के लिये– क– एक सम्भाग– 1500.00 ख–सम्पूर्ण उत्तराखण्ड– 3000.00 6–मोटर टैक्सी के लिये– क–एक सम्भाग– 750.00 ख–सम्पूर्ण उत्तराखण्ड– 1500.00 ग–सम्पूर्ण भारत के लिये– 2500.00	प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान होने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिने माल वाहन के नेशनल/आल उत्तराखण्ड परमिट आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन
16	विशेष अस्थाई परमिट	1–अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–24 2–विशेष परमिट के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–25	1–प्रथम तीन के लिये– 300.00 2–तीन दिन के पश्चात सप्ताह के अन्त तक– 300.00 3–प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिये– 300.00	आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिन
17	परमिट का हस्तान्तरण	1–आवेदन पत्र प्रपत्र एसआर–33	1–मंजिली गाडी के लिये –6000.00 2–ठेका गाडी के लिये–6000.00 (मोटर/बडी टैक्सी से भिन्न) 3–माल वाहन– 500.00 4–बडी टैक्सी– 200.00 5–मोटर टैक्सी–200.00	प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति होने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन

नोटः–

1– पते के प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किय जा सकते है–

वोटर पहचान पत्र
जीवन बीमा पॉलिसी
पासपोर्ट
राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारी द्वारा वेतनपर्ची भी प्रस्तुत की जा सकती है।

2– जन्मतिथि प्रमाणपत्र हेतु निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जा सकते है।

क– स्कूल प्रमाणपत्र
ख– जन्म प्रमाणपत्र

3– जिन कार्यालयों में ''सारथी'' परियोजना के अन्तर्गत चालक लाइसेंस कम्प्यूटर के माध्यम से जारी किये जाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है वहॉ फोटो केवल आवेदन पत्र पर ही चिपकाये जाने है, अतिरिक्त फोटो की आवश्यकता नही है।

4– इस चार्टर में अंकित शब्द ''व्यवसायिक'' वाहन का तात्पर्य ''परिवहन'' वाहन एवं ''अव्यवसायिक'' वाहन का तात्पर्य ''परिवहनेत्तर'' वाहन से है।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–153 / ix / 108 / 2009
देहरादूनः दिनांक 15 जुलाई, 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–59 वर्ष 1988) की धारा 200 तथा धारा 217 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–2050 / 30–04–98–172 / 89 दिनांक 1 सितम्बर, 1998 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) का (उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) अधिक्रमण करके नीचे अनुसूची के स्तम्भ–1 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट धारा के अधीन दण्डनीय अपराध को प्रत्येक धारा के सम्मुख स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट धनराशि हेतु शमन के लिये अधिकृत करते है–

अनुसूची–

अपराध शमन करने हेतु सक्षम अधिकारी	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा जिसके अधीन अपराध शमन किया जाना	धनराशि जिसके लिये अपराध शमन किया जा सकेगा (रूपयों में)
1	2	3
परिवहन विभाग के परिवहन कर अधिकारी ग्रेड–1 और उनसे ऊपर श्रेणी के समस्त अधिकारी उनके द्वारा पाये गये अपराधों के विषय में। जहॉ स्थानान्तरण, सेवा निवृत्ति आदि किसी कारण से ऐसा अधिकारी उपलब्ध न हो वहॉ अपराध का शमन अगले उच्च अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।	177	100.00 प्रत्येक अपराध के लिये
	178(1)	वास्तविक देय किराये का दस गुना या पॉच सौ रूपया जो भी कम हो।
	178(2)	500.00
	178(3) (क)	50.00
	178(3) (ख)	200.00
	179(1)	500.00
	179(2)	500.00
	180	1000.00
	181	500.00

	182(1)	500.00
	182(2)	100.00
	183(1)	400.00
	183(2)	300.00
	184	1000.00
	186	200.00
	189	500.00
	190(2)	1000.00
	191	500.00
	192	5000.00
	194(1), 113(2)	2000.00
	उक्त के अतिरिक्त अधिक भार के लिये प्रतिटन	1000.00
	194(2)	3000.00
	196	1000.00
	197	500.00
	198	100.00

टिप्पणी– उक्त धाराओं के अधीन प्रत्येक द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये शमन शुल्क किसी द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये विहित अधिकतम जुर्माना होगा।

2– मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 113 सपठित धारा 194 के अधीन अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को तब तक चलने की अनुमति नही दी जायेगी जब तक वाहन चालक द्वारा अपने खर्चे तथा उत्तरदायित्व पर अधिक भार उतरवाकर, यान का भार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट सकल यान भार के अनुरूप नही हो जाता है।

आज्ञा से,

उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या–153/ix/108/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियों का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 50 मुद्रित प्रतियॉ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

विनोद शर्मा
अपर सचिव।

संख्या–153 / ix / 108 / 2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड।
2– मण्डलायुक्त, कुमाऊ / गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल / एन0आई0सी।

आज्ञा से

विनोद शर्मा
अपर सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

पत्रांक प्रवर्तन/निर्देश/2011 दिनांक 04 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
उत्तराखण्ड।
समस्त परिवहन कर अधिकारी–2
उत्तराखण्ड।

विषय–**डयूटी के दौरान वर्दी पहनने के सम्बन्ध में।**

प्रायः देखा गया है कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एवं परिवहन कर अधिकारी–2 बिना वर्दी पहने ही चैकिंग कार्य करते है जबकि उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली (यथा उत्तराखण्ड में भी लागू) के नियम 227 के उप नियम (3) द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों के लिये वर्दी निर्धारित की गयी है। प्रवर्तन अधिकारियों के बिना वर्दी कार्य करने के कारण जहां उनकी पहचान किया जाना सम्भव नहीं है वहीं दूसरी और वाहन स्वामियों/चालकों पर विभागीय अधिकारियों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पडता। साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा भी कई बार फर्जी तौर पर चैकिंग कार्य किया जाता है।

अतः समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एवं परिवहन कर अधिकारी–2 को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी डयूटी के दौरान नियमावली के प्राविधानानुसार निर्धारित वर्दी पहन कर ही चैकिंग कार्य किया जाना सुनिश्चत करें। उच्चाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन अधिकारियों के बिना वर्दी पहने चैकिंग कार्य किये जाते पाये जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एवं परिवहन कर अधिकारी–2 निर्देशों का तत्काल एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रवर्तन कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

आर0सी0 पाठक
परिवहन आयुक्त।

संख्या–3274/प्रवर्तन/निर्देश/2011 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3– प्रभारी, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ सम्भाग/उप सम्भाग के प्रवर्तन अधिकारियों को निर्धारित वर्दी में ही डयूटी किये जाने के निर्देशों का अनुश्रवण अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।

आर0सी0 पाठक
परिवहन आयुक्त।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या–1337/XXXI(13)G/2011
देहरादूनः दिनांक 28 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–20 वर्ष, 2011) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय–सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्न सारणी में उल्लिखित विभाग एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवांए प्रदान करने की समय सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एतद्द्वारा निम्नवत अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

5– परिवहन विभाग

क्र0 सं0	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	वाहन का पंजीयन	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	1–केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–20, 21, 22 और फार्म संख्या–A वाहन के बिल की मूलप्रति, वैध बीमा की सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण पत्र एवं एक फोटो के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अव्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क/कर जमा होने के उपरान्त 02 दिन के अन्दर। 2– व्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क/कर जमा होने के उपरान्त के 04 दिन के अन्दर। 3– अन्य जिलों/राज्यों से अस्थायी पंजीयन लेकर आने वाले वाहनों	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–35 (अब उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–36) के अन्तर्गत धारा–57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त

			के सम्बन्ध में यह अवधि आवेदन करने की तिथि से प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त 30 दिन के अन्तर्गत होगी।		
2	शिक्षार्थी लाईसेन्स	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–10 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–01, 02 निवास प्रमाण पत्र, आयु के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, 16–18 वर्ष के मध्य आयु वालों के सम्बन्ध में अभिभावक की सहमति, व्यवसायिक शिक्षार्थी लाईसेन्स हेतु कम से कम 01 वर्ष पुराना वैध हल्की वाहन चालक लाईसेन्स, दो नवीनतम फोटो प्रस्तुतीकरण एवं निर्धारित शुल्क जमा होने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर परीक्षा ली जायेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 02 दिन।	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–05 (अब उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–05) के अन्तर्गत धारा–9 की उपधारा (8) एवं धारा–17 की उपधारा (2) औरा धारा–19 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने के लिए सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त
3	स्थायी लाईसेन्स	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–14 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या–04, वैध शिक्षार्थी लाईसेन्स (न्यूनतम 30 दिन की अवधि पूर्ण होने पर) व्यवसायिक लाईसेन्स के लिए फार्म संख्या–05 पर मोटर चालक प्रशिक्षण, स्कूल का प्रमाण पत्र, दो नवीनतम फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा करने परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन।	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–05 (अब उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–5) के अन्तर्गत धारा–9 की उपधारा (8) एवं धारा–17 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने के लिए सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय	परिवहन आयुक्त

				होगा।	
4	फिटनेस	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–62 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज वाहन निरीक्षण आख्या फार्म वैध बीमा प्रमाण–पत्र नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण–पत्र समस्त देयों के भुगतान सम्बन्धित प्रमाण–पत्र चालन लम्बित न होने का प्रमाण–पत्र के साथ वाहन निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर उसी दिन निरीक्षण कर दिया जायेगा। फिट पाये जाने पर दूसरे दिन फिटनेस जारी कर दी जायेगी फिट नहीं पाये जाने पर सभी कमियों को एक मुश्त लिखित रूप में सूचित कर दिया जायेगा।	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–35 (अब उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–36) के अन्तर्गत धारा–57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त

2– सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।

3– सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्ण रूप से, यथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

4– उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या–1337(1)/XXXI(13)G/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

6. उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ अधिसूचना की एक हजार प्रतियां छपवा कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस0डुंगरियाल)
अनु सचिव

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

पत्रांक 240/अधि0/दो–29/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012

सेवा में,

सचिव,
परिवहन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

विषय– **प्रदेश की सीमाओं पर स्थित परिवहन चैकपोस्टों पर कार्यरत कार्मिकों की तैनाती अवधि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2011 निरस्त हो जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा शासनादेश सं0–531/XXX(2)/2012 दिनांक 08–06–2012 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण हेतु शासनादेश सं0–588/XXX(2)/2008 दिनांक 29–05–2008 के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सरकारी कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु वार्षिक स्थानान्तरण नीति, 2008 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में राज्य की सीमाओं पर 19 चैकपोस्टें स्वीकृत है। इन चैकपोस्टों पर परिवहन कर अधिकारी–2 एवं कनिष्ठ लिपिकों के 57–57 पद (प्रत्येक चैकपोस्ट हेतु 03 पद) सृजित किये गये है। इसके अतिरिक्त चैकपोस्टों पर प्रवर्तन सिपाही के 114 पद (प्रत्येक चैकपोस्ट हेतु 06) स्वीकृत है। वर्तमान में प्रदेश की सीमाओं पर स्थापित/कार्यरत परिवहन चैकपोस्ट का सम्भाग/जनपदवार विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	जनपद	संचालित चैकपोस्टों का नाम
1	देहरादून सम्भाग	1– आशारोडी
		2– कुल्हाल
		3– तिमली
2	हरिद्वार उप सम्भाग	1– नारसन
		2– भगवानपुर
		3– चिडियापुर
		4– गोवर्धनपुर
3	उधमसिंहनगर उप सम्भाग	1– काशीपुर
		2– रूद्रपुर
		3– पुलभटटा
		4– दोराहा (बाजपुर)
		5– मंझौला
4	टनकपुर (चम्पावत)	1– बनबसा
5	कोटद्वार उप सम्भाग	1– कौडिया

3– परिवहन विभाग की लगभग सभी चैकपोस्टें मैदानी क्षेत्रों पर स्थित है। राज्य की सीमाओं पर स्थित परिवहन चैकपोस्ट दिन रात अनवरत 24 घण्टे कार्यशील रहती है। इन चैकपोस्टों पर अन्य राज्य से आने वाली वाहनों से करों की वसूली व उनके प्रपत्रों की जांच आवश्यकतानुसार चालान, जुर्माना, वाहनों को बंद करने आदि का कार्य किया

जाता है। प्रवर्तन दलों को भी वाहनों की चैकिंग, यथा शराब पीकर वाहन चलाना, क्षमता से अधिक माल ले जाना, ओवरलोड माल उतरवाना, वाहनों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर नियंत्रण करना आदि कार्य किया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि चैकपोस्ट व प्रवर्तन कार्मिकों का कार्य विशेष प्रकार का व संवेदनशील प्रकृति का है। इस सम्बन्ध में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि सामान्य स्थानान्तरण नीति के स्थान पर चैकपोस्टों पर तैनात कार्मिकों के जल्दी जल्दी स्थानान्तरण हेतु नीति बनायी जाय।

अतः परिवहन चैकपोस्टों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग व प्रवर्तन सिपाहियों को सम्बन्धित चैकपोस्ट पर 01 वर्ष तक, 01 वर्ष के पश्चात कार्यालय/प्रवर्तन दलों में तैनात किये जाना तथा परिवहन कर अधिकारी–2 को ए श्रेणी की चैकपोस्ट पर अधिकतम 01 वर्ष, बी श्रेणी की चैकपोस्ट पर अधिकतम 02 वर्ष एवं सम्बन्धित सम्भाग उप सम्भाग के अन्तर्गत अधिकतम 05 वर्ष और उसके पश्चात अर्न्तसम्भागीय चैकपोस्टों में स्थानान्तरण किये जाने का प्रस्ताव है।

4– यह भी उल्लेखनीय है कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति, 2008 के बिन्दु सं0–10(2) में विभाग की विशेषताओं के क्रम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो इस सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है–

> '' यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशेषताओं के क्रम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो संकारण प्रस्तुत कर मुख्य सचिव एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।''

उक्त स्थानान्तरण नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार प्रस्ताव के बिन्दु सं0–2 में वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवहन विभाग की राज्य की सीमाओं में स्थापित परिवहन चैकपोस्टों पर कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्नवत नीति निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है–

(i) राज्य की सीमाओं पर स्थित परिवहन चैकपोस्टों पर परिवहन कर अधिकारी–2 प्रभारी के रूप में तैनात रहते है। परिवहन कर अधिकारी–2 द्वारा अन्य राज्यों/प्रान्तों से आने वाली वाहनों से करों की वसूली के साथ साथ वाहनों के प्रपत्रों की चैकिंग, अनाधिकृत संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। यदि चैकपोस्ट पर कार्यरत कार्मिकों की तैनाती एक वर्ष से अधिक समय तक रहती है तो उनके ज्यादा लम्बे समय तक एक ही चैकपोस्ट पर बने रहने से स्थानीय परिवहन व्यवसायियों से सम्पर्क बढने से स्थानीय जनता का हस्तक्षेप (यथा अनाधिकृत संचालन में संलिप्त वाहन स्वामियों) एवं परिवहन माफियाओं के दबाव की आशंका के कारण सम्बन्धित कार्मिकों के कार्य पर विपरीत प्रभाव पडेगा तथा कर अपवंचना की सम्भावना भी बनी रहेगी। इस समस्या का निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि किसी भी कार्मिक का लम्बे समय तक एक चैकपोस्ट पर तैनात किया जाना जनहित एवं राजस्व हित में उचित नहीं होगा।

(ii) चैकपोस्ट पर राजस्व संग्रह का प्रतिशत अलग अलग है। चैकपोस्टों को वहां प्राप्त होने वाले राजस्व के अनुसार निम्नवत श्रेणियां बनाया जाना प्रस्तावित है–

रूपये 5.00 करोड से अधिक– ए

रूपये 50.00 लाख से 5.00 करोड– बी
रूपये 50.00 लाख तक– सी

क्र0 सं0	जनपद	क्रमांक	संचालित चैकपोस्टों का नाम	प्राप्त राजस्व	श्रेणी
1	देहरादून सम्भाग	1	आशारोडी	44.12	सी
		2	कुल्हाल	127.34	बी
		3	तिमली	0.61	सी
2	हरिद्वार उप सम्भाग	1	नारसन	1012.64	ए
		2	भगवानपुर	226.75	बी
		3	चिडियापुर	251.14	बी
		4	गोवर्धनपुर	34.10	सी
3	उधमसिंहनगर उपसम्भाग	1	काशीपुर	153.70	बी
		2	रूद्रपुर	188.28	बी
		3	पुलभटटा	82.72	बी
		4	दोराहा (बाजपुर)	22.64	सी
		5	मंझौला	34.44	सी
4	टनकपुर (चम्पावत)	1	बनबसा	26.35	सी
5	कोटद्वार उप सम्भाग	1	कौडिया	42.02	सी

ए श्रेणी की चैकपोस्ट पर तैनाती की अधिकतम अवधि– 1 वर्ष
बी श्रेणी की चैकपोस्ट पर तैनाती की अधिकतम अवधि– 1 वर्ष
सी श्रेणी की चैकपोस्ट पर तैनाती की अधिकतम अवधि– 2 वर्ष
एक सम्भाग में सभी चैकपोस्टों पर मिलाकर कुल अवधि– 05 वर्ष

(iii) ए, बी व सी श्रेणी के चैकपोस्टों पर कार्यरत कार्मिकों के तैनाती की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात (लिपिक व प्रवर्तन सिपाही) उन्हे सम्भाग/उपसम्भाग, प्रवर्तन दलों में तैनात किये जाने का प्रस्ताव है। इन कार्मिकों से कार्यालय/प्रवर्तन दलों का कार्य लिये जाने से इन्हे चैकपोस्टों के साथ साथ कार्यालय एवं प्रवर्तन दलों के कार्य का ज्ञान/अनुभव प्राप्त होने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

(iv) ए श्रेणी के चैकपोस्टों पर उन कार्मिकों की (परिवहन कर अधिकारी–2) तैनाती की जायेगी जिनके द्वारा बी और सी श्रेणी की दोनो चैकपोस्टों पर कार्य कर लिया गया हो तथा सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया गया हो एवं सबसे अधिक चालान किये गये हो।

(v) ए श्रेणी के चैकपोस्टों पर कार्यरत कार्मिकों (परिवहन कर अधिकारी–2) को उनके कार्यक्षमता के आधार पर बी एवं सी श्रेणी के चैकपोस्टों पर तैनात किया जायेगा। चैकपोस्टों पर सम्बद्ध किये गये कर्मचारियों की सम्बद्धता की अवधि की गणना चैकपोस्ट पर तैनाती की वास्तविक तिथि से की जायेगी।

(vi) ए श्रेणी की चैकपोस्ट पर कार्य कर चुके कार्मिक की तैनाती बी व सी श्रेणी के चैकपोस्टों तथा अर्न्तसम्भागीय चैकपोस्टों पर कार्य करने के उपरान्त ही पुनः ए श्रेणी की चैकपोस्ट पर तैनात किया जायेगा।

5– प्रवर्तन चालक की तैनाती मुख्यालय के अधिकारियों, सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के अतिरिक्त प्रवर्तन अधिकारियों के साथ होती है। प्रवर्तन दल में कार्यरत चालकों को जहां प्रवर्तन कार्य का अनुभव, अनधिकृत रूप से संचालित वाहनों को निरूद्ध

करने, वाहन चलाने की दक्षता के साथ साथ फील्ड के कार्य का अनुभव होता है वहीं मुख्यालय एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के साथ कार्यरत चालकों की उच्चाधिकारियों के साथ कार्य का अवसर मिलता है। दोनों प्रकार की तैनाती में प्रवर्तन चालकों का कार्य अनुभव अलग अलग होता है। अतः सभी प्रवर्तन चालकों को दोनों वातावरण में कार्य करने के अवसर प्रदान करने से उन्हे विभाग के सभी प्रकार के कार्यों का अनुभव प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार प्रवर्तन चालकों की तैनाती को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है–

(1) प्रवर्तन कार्य– 16 प्रवर्तन दलों में तैनाती।

(2) गैर प्रवर्तन कार्य– मुख्यालय के अधिकारियों एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के साथ तैनाती।

अतः यह प्रस्ताव है कि दोनों प्रकार के क्षेत्रों का समान कार्य अनुभव की दृष्टि से प्रवर्तन कार्य हेतु 02 वर्ष की तैनाती के उपरान्त अनिवार्य रूप से गैर प्रवर्तन कार्य और 02 वर्ष की गैर प्रवर्तन कार्य की तैनाती के उपरान्त अनिवार्य रूप से प्रवर्तन कार्य में तैनाती की जाय।

अतः महोदय उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर निर्णय लेना चाहें।

भवदीय

विनोद प्रसाद रतूडी
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–122/ix-1/08(2014)/2014
देहरादूनः दिनांक 11 मार्च, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 9 के उपबन्धों के अनुसरण में चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझरा, चकराता रोड देहरादून को मानव जीवन के लिये खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल ढोने वाले वाहन चलाने वाले व्यक्तियों का उक्त नियम के अधीन प्रशिक्षण देने के लिये इस शर्त के अधीन मान्यता प्रदान करते है कि ऐसा संस्थान ऐसा प्रशिक्षण देने के लिये सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी से प्रपत्र 11 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

आज्ञा से

डॉ0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या–122(i)/ix–1/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
3– अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून।
4– समस्त सम्भागीय/सहायक परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करते हुये प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझरा, चकराता रोड, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

नवीन सिंह तडागी
संयुक्त सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

पत्रांक 1021/कम्प्यू/08–71/2013 दिनांक 31 मार्च, 2014

कार्यालयादेश

कार्यालय में प्राप्त होने वाली दिन प्रतिदिन की डाक के त्वरित निस्तारण एवं समुचित अनुश्रवण की दृष्टि से Letter Monitoring System" नामक साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका प्रदर्शन कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष पूर्व में किया जा चुका है। अतः तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में प्राप्त होने वाली डाक का कम्प्यूटरीकरण निम्न प्रकार किया जायेगा–

1– दिनांक 01–04–2014 से शासन से प्राप्त होने वाली सभी डाक उक्त साफ्टवेयर में अंकित की जायेगी।

2– दिनांक 01–07–2014 से अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली डाक भी साफ्टवेयर में अंकित की जाय।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारी।

2– मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी एवं सहायक।

3– सम्बन्धित सहायक।

डॉ0 उमाकान्त पंवार
परिवहन आयुक्त।

संख्या–449/ix–1/2014

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2014

विषय– **परिवहन न्यायाधिकरण के शासकीय अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली फीस का निर्धारण।**

महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन न्यायाधिकरण के शासकीय अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली फीस के निर्धारण विषयक परिवहन विभाग के शासनादेश सं0–23/परि0/328/2003 दिनांक 10 नवम्बर 2003 को अधिक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सभी प्रकरण के मुकदमों में शासन की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु आबद्ध शासकीय अधिवक्ता को निम्नलिखित दरों पर फीस बिलों का भुगतान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1	रिटेनर फीस	रू0 5000/–
2	वाद/अपील/मैमो/प्रार्थना पत्र/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र	रू0 1000/– प्रति केस
3	लिखित विवरण/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र	रू0 300/– प्रति केस
4	सहकारिता न्यायाधिकरण के वादों में बहस हेतु	रू0 1200 प्रति कार्य दिवस
5	आशुलिपिक कार्य हेतु	रू0 6000
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु	रू0 3000

2– आशुलिपिक कार्य तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान उसी स्थिति में किया जायेगा। यदि अधिवक्ता को आशुलिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी हो।

3– बिन्दु 4 पर अंकित बहस हेतु फीस तभी अनुमन्य होगी, जब यह प्रमाणित किया जाय कि सम्बन्धित अधिवक्ता ने कम से कम दो वादों में बहस की अन्यथा एक याचिका में बहस हेतु ही अनुमन्य होगी।

4– बिन्दु 2 व 3 पर अंकित प्रार्थना पत्र का आशय केवल शिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र से होगा। अन्य किसी प्रार्थना पत्र के लिये कोई फीस अनुमन्य नहीं होगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 24 के अधीन लेखाशीर्षक 2041–वाहन कर–800, अन्य व्यय–03–स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेंट अधिष्ठान के नाम डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–27/xxvii(2)/2014 दिनांक 20 अगस्त 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

एस0 रामास्वामी
प्रमुख सचिव।

संख्या–449(1)/ix–1/2014 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड, शासन।
2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

जीवन सिंह तिलाडा
उप सचिव।